(1)

कार्यवाही विवरण

मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–चिराईपानी एवं पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 17, 19, 20/1, 20/2, 27, 29, 31/2, 31/3, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7 एवं 85, कुल क्षेत्रफल–15.327 हेक्टेयर में स्पंज आयरन प्लांट (2x95 टीपीडी डीआरआई किल्न) क्षमता–62,700 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन फर्नेस (5x12 टन) (एमएस बिलेट्स/इंगाट्स), क्षमता–1,98,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल (2x300 टीपीडी) (टीएमटी बार/स्ट्रक्चरल स्टील/रोल्ड प्रोडक्ट) क्षमता–1,92,000 टन प्रतिवर्ष, पॉवर प्लांट–20 मेगावाट {डब्ल्यू.एच.आर.बी. बेस्ड (2x12 टीपीएच)–5 मेगावाट एवं एफ.बी.सी. बेस्ड (1x72 टीपीएच)–15 मेगावाट} की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 23 अक्टूबर 2021 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–चिराईपानी एवं पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 17, 19, 20/1, 20/2, 27, 29, 31/2, 31/3, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7 एवं 85, कुल क्षेत्रफल–15.327 हेक्टेयर में स्पंज आयरन प्लांट (2x95 टीपीडी डीआरआई किल्न) क्षमता–62,700 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन फर्नेस (5x12 टन) (एमएस बिलेट्स/इंगाट्स), क्षमता–1,98,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल (2x300 टीपीडी) (टीएमटी बार/स्ट्रक्चरल स्टील/रोल्ड प्रोडक्ट) क्षमता–1,92,000 टन प्रतिवर्ष, पॉवर प्लांट–20 मेगावाट {डब्ल्यू.एच.आर.बी. बेस्ड (2x12 टीपीएच)–5 मेगावाट एवं एफ.बी.सी. बेस्ड (1x72 टीपीएच)–15 मेगावाट} की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 23.10.2021, दिन–शनिवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–बंजारी मंदिर के समीप का मैदान, ग्राम तराईमाल, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण

सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्ररतुतिकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम मैं सर्वप्रथम मैं मोहन मिततल वेजरॉन इडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड की ओर से मान्नीय अपर कलेक्टर श्री आर.ए. कुरूवंशी जी, एस.डी.एम. रायगढ़ श्री मार्बल जी, क्षेत्रीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल श्री सितेश वर्मा जी, ए.एस.पी. महोदय श्री लखन पटेल पवार जी उपस्थित अन्य अधिकारीगण तथा पुलिस प्रशासन का और साथ ही उपस्थित जनता का मैं इस लोकसुनवाई में स्वागत करता हूँ। हमारे द्वारा ग्राम–चिराईपानी एवं पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में स्टील उत्पादन संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है जिसमें स्पंज आयरन उत्पादन इकाई 62700 टन/वर्ष इण्डक्शन फर्नेस इकाई 1,98,000 टन/वर्ष, वेस्ट हीट आधारित विद्युत उत्पादन 05 मेगावाट तथा एफ.बी.सी. आधारित विद्युत उत्पादन 15 मेगावाट सम्मिलित है। प्रस्तावित परियोजना की स्थापना हेतु हमारे द्वारा पूर्व में 15.474 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई है। प्रस्तावित परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इसी तारतम्य में यह लोकसुनवाई आयोजित की गई है। हमारे द्वारा वायु प्रदुषण की रोकथाम के लिये प्रस्तावित डब्ल्यू, एच.आर.बी. युक्त डी.आर.आई. किल्न में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इण्डक्शन फर्नेस में बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सटेंशन सिस्टम तथा एफ.बी.सी. बॉयलर में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का लगाया जाना प्रस्तावित है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलीग्राम/घनमीटर से कम के अनुरूप होगी। जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित संयंत्र के संचालन हेतु 655 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी जिसे भू–जल स्त्रोत द्वारा आहरण किया जावेगा। इस आशय में आवेदन केन्द्रीय भू–जल मण्डल में प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित डी.आर.आई. किल्न, इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल में क्लोज्ड सर्किट कूलिंग सिस्टम का परिपालन किया जावेगा, जिसके कारण किसी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। प्रसतावित विद्युत उत्पादन संयंत्र से उत्पन्न निस्त्राव को ई.टी.पी. में उपचारित किया जावेगा तथा परिसर में पुर्नउपयोग किया जावेगा। घरेलू दूषित जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा उपचारित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना के बाद शून्य निस्तारण की स्थिति बनाई रखी जावेगी जिसरो आस–पास के पर्यावरण पर दूषित जल का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। परिसर में लगभग 5.26 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है तथा परिसर के चारो ओर 15 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जावेगा। हमारे द्वारा प्ररतावित परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी। सामाजिक दायित्व के निर्वहन नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा

सुझाये गये सभी उपायों को अपनाया जायेगा जिससे परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारातमक प्रभाव नहीं होंगे। अंत में प्रस्तावित परियोजना के लिये उपस्थित जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढकर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 700–800 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 132 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. गांवल बघेल, मिर्जापुर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
2. राधिका, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
3. ज्ञानीबाई, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
4. राधिका, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
5. उराई, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
6. सेतबती, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
7. सुमरी, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
8. मीरा चौहान, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
9. रसिया, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
10. सिया, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
11. तिजा, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
12. अंजु, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
13. जयंती देवी, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
14. समीरा, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

15. बबीता, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
16. बबीता देवी, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
17. देवी, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
18. गीतादेवी, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
19. टिकेश्वरी, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
20. सीमा अजय, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
21. शकुंतला, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
22. शितल यादव, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
23. माधुरी, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
24. रामकुमारी, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
25. बलराम, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
26. रतिरांव, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
27. दयाराम, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
28. नोहरराम, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
29. दिनेशराम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
30. शनिराम, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
31. उरांवराम, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
32. समारू, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
33. संतोष, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
34. कुशलराम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
35. धोबीराम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
36. मेहर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
37. श्यामबाई, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
38. सीमा, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
39. रजनी, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
40. सुनीता, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
41. गंगनीबाई, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
42. अश्गीता, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
43. आरती, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

44. सुहानाबाई, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
45. मीराबाई, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
46. पार्वती – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
47. तोमिना तिर्की, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
48. सुमन, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
49. कमलराम, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
50. सुरेन्द्र, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
51. हेमलाल, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
52. होरीलाल, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
53. नेहरू, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
54. भोला, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
55. राधेश्याम, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
56. राकेश, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
57. दिनेश, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
58. धर्मेन्द्र, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
59. बल्लव, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
60. सोनामति, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
61. रजनी, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
62. अंकिता, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
63. रश्मि यादव, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
64. प्रतिज्ञा, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
65. माधुरी, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
66. सुमति, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
67. – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
68. उदय, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
69. मंगलुदास, कांसा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
70. लेखराम, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
71. संतोषकुमार, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
72. अजय – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

73. विजय – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
74. सरोज, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
75. बिहाल, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
76. शोभराम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
77. मनमोहन, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
78. दिलकुवंर, तराईमाल– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
79. सोना राठिया, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
80. बबीता, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
81. धनकुवंर, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
82. बसंती, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
83. मधु, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
84. इच्छा चौहान, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
85. गीता, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
86. श्वेता, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
87. ललीता – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
88. शशी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
89. बिमला, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
90. रतिमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
91. रेशमा, तराईराम– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
92. अंबिका, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
93. – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
94. सरन, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
95. समारीबाई, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
96. सविता – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
97. कमलाबाई, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
98. लीलाबती, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
99. दुखीबाई, समारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
100. सरीता, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
101. तुलसी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

102. सुरज, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
103. नरसिंह, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
104. विज, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
105. गुड्डू, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
106. सोनकुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
107. आशाराम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
108. तरूण – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
109. राज – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
110. अमोद, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
111. ननसिंह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
112. देव मांझी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
113. ललीता – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
114. प्रिया – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
115. निशु, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
116. अंकिता, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
117. तरूराम, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
118. अर्जुन, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
119. गुलाब – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
120. राजेश, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
121. सोनु, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
122. अनिल, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
123. कृष्णा, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
124. बुधुराम, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
125. गंगलु – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
126. धनसाय – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
127. विभाष, घरघोड़ा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
128. खिरोधर, पंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
129. सुरेन्दर, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
130. अगोरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

131. प्रदीप – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
132. शुकदेव – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
133. महेशराम, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
134. घराई, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
135. उमा राठिया, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
136. उतरा, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
137. दिपिका – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
138. धनमती – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
139. देवमती, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
140. अनुराधा, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
141. भारती, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
142. रनमती, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
143. सौसिला, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
144. संतोषी, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
145. विमला, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
146. संतोषी, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
147. गंगा सिदार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
148. अभनी, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
149. विमला कुमारी, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
150. तुलसी, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
151. रजिना – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
152. लुकाराम, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
153. बाबुलाल, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
154. गंगा मण्डल, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
155. राजु – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
156. रतनेश – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
157. सुनील – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
158. अनसारी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
159. उमेश, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

160. राम, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
161. लीलाराम, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
162. सुनीलकुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
163. सुनील – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
164. दीपक कुमार– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
165. तीजराम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
166. नंन्दकिशेर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
167. दिलीप कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
168. सदा, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
169. पार्वती, गेरवानी -- मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
170. रोशनी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
171. सरस्वती – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
172. रजनी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
173. वंदना, गेरवानी -- मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
174. दुर्गा, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
175. मनोज कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
176. केशव, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
177. कृष्णनन्द – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
178. कन्हैया – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
179. वेद पासवान – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
180. राजेश कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
181. सानु कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
182. संजीव कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
183. मनोज कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
184. फुलचन्द – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
185. विजय मण्डल, भालुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
186. हरी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
187. सोनु – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
188. मिथलेश – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

189. आयुष – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

190. राहुल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

191. गिरधारी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

192. इरफान – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

193. चन्दन – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

194. मनोज – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

195. राजेश कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

196. मुन्ना कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

197. विनय – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

198. प्रेम कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

199. निरज, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

200. बाबु, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

201. सन्तानु – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

202. मिलन – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

203. संजय कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

204. शनी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

205. अमित कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

206. विजय, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

207. सोभित, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

208. रिमी, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

209. विनोद – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

210. राजदेव, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

211. संजय यादव – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

212. प्रभु पण्डा, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

213. नोहर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

214. एम.डी राज – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

215. दीपक कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

216. अनिल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

217. बिन्दु – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

218. ललित, पूंजीथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

219. जरीन – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

220. मीरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

221. कृष्णदास – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

222. सीता – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

223. पुजा, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

224. पिंकी, तमनार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

225. पुरना – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

226. मोतीदेवी, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

227. धनवती, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

228. पदुका, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

229. रेनुदेवी, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

230. धनमती – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

231. पुनम, तमनार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

232. कविता, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

233. गुरबारी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

234. करीना, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

235. साक्षी, तराईमाख्ल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

236. सीमा, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

237. केकती, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

238. तेजकुवंर, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

239. रेखादेवी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

240. अंकिता – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

241. राजकुमारी सिदार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

242. मंगाई, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

243. उमा चौहान – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

244. संतोषी, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

245. लक्ष्मी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

246 रीता, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

247. चंद्रिका, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
248. सुमरी बाई – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
249. गुरबारी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
250. सावित्री, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
251. रूपा, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
252. प्रमिला, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
253. बिपिन – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
254. पुर्णिमा, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
255. अंजु, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
256. बेबी, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
257. लीला चन्द्र, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
258. प्रेमिका – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
259. लंलीता – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
260. चंद्रा -- मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
261. कलावति – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
262. संतोष – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
263. मुकेश – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
264. कृष्णा यादव – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
265. राहुल कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
266. लखीराम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
267. दुग्रेश, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
268. शरद कुमार -- मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
269. भादास, तुमीडरीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
270. विरेन्द्र – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
271. भरत कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
272. कन्हैया कुमार -- मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
273. राम बघेल, गेरवानी -- मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
274. नर्मदा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
275. अनिल दास – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

276. दुखी यादव – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
277. संजय, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
278. शैलेस कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
279. मेहर राम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
280. पवन कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
281. अंकुश – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
282. नरेश – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
283. बंशी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
284. राकेश कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
285. प्रदीप कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
286. राकेश कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
287. अंकित कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
288. गोपी यादव – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
289. सुरज कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
290. सुरेन्दर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
291. राजाराम, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
292. धरमेन्द्र, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
293. दनादन, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
294. सौरव, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
295. शंकर, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
296. अनिल कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
297. मनोज कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
298. गुडडु – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
299. बुधु, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
300. इकबाल, घरघोड़ा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
301. राजेश कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
302. परदेशी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
303. अमदराम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
304. निखिल, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

305. गणेशराम, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
306. पवन, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
307. दिलीप कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
308. मुकेश, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
309. विजय, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
310. सोनी, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
311. रेखा, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
312. चारूदेवी, तराईमाल -- मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
313. धमती राठिया – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
314. हीरामति, गोढ़ी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
315. कविता, तमनार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
316. राजबाई, तमनार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
317. सावित्री, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
318. सारथी यादव – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
319. बैशाखु, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। मुझे काम दे।
320. दुखु, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
321. रतलाल, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
322. रामनाथ, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
323. लाला, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
324. मुखराम, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
325. राजु कुमार, पूंजीपथरा -- मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
326. फुलचंन्द, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
327. सुशीला, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
328. तेजबाई, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
329. कुमारी, लाला – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
330. किरन, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
331. विजयमति, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
332. विजतराठी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
333. रामप्यारी, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

334. मण्डल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
335. विनोद – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
336. विनोद, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
337. किरीतलाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
338. मुकेश – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
339. युवराज सिंह, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
340. मनीप्रकाश – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
341. इतवारू, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
342. महेश्वर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
343. जितेन्द्र – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
344. रोहित कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
345. सत्येन्द्र – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
346. विक्की कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
347. अमित कुमारी, बांकेविहार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
348. रंजित सिंह, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
349. निरज – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
350. सैलेन्द्र – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
351. अंतस, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
352. बीना, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
353. सुनिता, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
354. शांति, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
355. केकती, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
356. आकांक्षा, लालखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
357. किरन – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
358. सुकदेवी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
359. केराबाई – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
360. सुमरन – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
361. अजय कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
362. नरेन्द्र, समारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

363. अभिशेक – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

364. सोहन – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

365. उमेश, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

366. राकेश, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

367. रोहित, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

368. ललित कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

369. पुजा, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

370. जागृति, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

371. संतोषी, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

372. विमला – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

373. पुष्पा, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

374. प्रियंका – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

375. सहोद्रा, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

376. क्रांतिबाई, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

377. सनियारा, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

378. विनिता – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

379. मोती – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

380. गंगा, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

381. ममता, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

382. दिपिका, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

383. अंजना समारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

384. किरन, समारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

385. हेमकुमारी, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

386. ईश्वरी, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

387. छोटी, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

388. सुकमनी, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

389. रजनी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

390. कविता, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

391. मंगलमति, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

392. दिलिप कुमार, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
393. पंचराम, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
394. शंकरयादव, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
395. गोलुकुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
396. सत्येन्द्र – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
397. अर्जुन, चिराईपानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
398. हरिप्रसाद, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
399. कृपा शंकर, चांपा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
400. मद्रासी, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
401. सचीन कुमार, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
402. हरियादव, चिराईपानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
403. नवीन – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
404. मोली श्याम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
405. कुलदीप – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
406. परवेश – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
407. ननकी, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
408. भारत, गेरवानी– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
409. सनिरो – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
410. भन्जन – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
411. गगनु – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
412. दिलिप, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
413. राजेश, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
414. विनोद, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
415. संदीप कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
416. राजु कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
417. पिताम्बर, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
418. कार्तिक – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
419. चरनदास, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
420. संतोष, जशपुर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

421. लक्ष्मण – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

422. फिलओ, पूंजीपथरा– मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

423. भगवानो – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

424. टेकतुराम, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

425. रामनिवास – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

426. रामकुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

427. गुलाबमति, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

428. उमादेवी, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

429. मंगलमति – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

430. राजमति, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

431. कुमारी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

432. सुमति, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

433. सपना, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

434. सुकमत, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

435. ममता देवी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

436. गोमती – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

437. सीमा, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

438. कमली, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

439. सुमित्रा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

440. कुमंदा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

441. ममता, गेवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

442. सुमंता, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

443. नेहा, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

444. सौकीलाल, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

445. प्रहल्लाद – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

446. सेलेन्द्र, लालखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

447. लीला – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

448. उमाशंकर, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

449. भीम कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

450. प्रभु – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

451. पंकज – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

452. अनिल, चिराईपानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

453. निरज – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

454. रूपेश कुमार, तराईमाल -- विरोध हैं

455. गंजेन्द्र , चिराईपानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। हमारे गांव के बहुत लड़को को काम दिया है।

456. अमर राठिया, चिराईपानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

457. चन्द्रशेखर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

458. सुंदरमति, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

459. सावित्री – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

460. दशेदा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

461. सरस्वती, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

462. राजकुमारी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

463. पालमति – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

464. सीमा, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

465. मीना , गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

466. उमा, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

467. दया बाई, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

468. रमा जायसवाल -- मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

469. कगला, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

470. माया, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

471. बंसती, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

472. नटराज, चिराईपानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

473. नवीन, चिराईपानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

474. अंजनी डनसेना – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ। इनके आने से गांव का विकास होगा।

475. रामसिंह, चिराईपानी – विरोध।

476. दसरथ यादव, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

477. अंगत, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

478. प्रताप, चिराईपानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

479. शुभव डनसेना, चिराइपानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

480. अंजनी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

481. दिलीप – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

482. सुदर्शन – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

483. मनोज, चिराईपानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

484. नत्थु, लाखा –

485. प्यारो, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

486. त्रिभुवन, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

487. बुधराम, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

488. लक्ष्मीनारायण, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

489. राजकुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

490. शंकर, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

491. रामविलास, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

492. बुधराम, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

493. विरेन्द्र – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

494. मुकुन्द – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

495. धनाराम , तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

496. प्रमोद कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

497. रतनला, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

498. सदानन्द – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

499. राजकुमार, उदयपुर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

500. रवि – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

501. धनन्जय, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

502. राजेश, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

503. अक्षय – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

504. सुरेश, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

505. राधे, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

506. विजेन्द्र, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
507. जतनसाय, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
508. फोजीराम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
509. दिनेश, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
510. दिलेश्वर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
511. प्रदीप, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
512. सुभाष – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
513. खिरीराम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
514. अन्नतराम, गेरदानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
515. जसवाल, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
516. चन्द्रो कुमार, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
517. सिवासिंह – मेसर्स वैजरॉन इंडंस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
518. अयान, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
519. ऋषिकेश – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
520. नंदराम, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
521. राठौर, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
522. चौहान – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
523. संजय, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
524. रंजीत गिरी, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
525. रतिप्रसाद, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
526. सागर, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
527. नेहरू, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
528. देवानंद, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
529. करंन कुमार, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
530. सुबल, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
531. संतोष, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
532. शशि कुमार, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
533. कृष्णा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
534. वसीम, रायगढ़ – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

535. वासुदेव, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

536. सचीन, लाखा – मै कंपनी का विरोध करता हूं। जैसा कि वैजरॉन कंपनी ग्राम पंचायत लाखा में आता है प्रस्तावित से जनसुनवाई की दूरी लगभग 08 किमी है ग्राम पंचायत लाखा के 1000 निवासी मे से लगभग 30 प्रतिशत यहां आई है जो कि संपूर्ण रूप से इस लोक सुनवाई का कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है ग्राम पंचायत के नजरिये से अगर यह मेसर्स वैजरॉन स्थापित होता है तो पर्यावरण का दोहन होगा और मैं विज्ञान का स्टूडेंट होने के नाते यह भी समझाना चाहूंगा कि जब स्पंज आयरन का कंपनी खुलता है तो विज्ञान यह जीक्र करता है कि आक्सीजन से ज्यादा कार्बन बाईन्ड मोनो आक्साईड करता है। और आगामी 10 सालों में आप इसका सीधा निष्कर्ष देखेंगे जब बहुत सारी बिमारी सामने आयेगी, इससे बहुत सारे जानलेवा गैस सामने आयेंगी बहुत सारे गैस वायुमंडल में मिश्रित होंगे जिससे कि ओजोन परत का क्षरण होगा। ओजोन परत के क्षरण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जायेगा जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और कंपनी होगा। अगर विकास के नाम पर यह जनसुनवाई करवाकर यह झुनझुना पकड़ाया जा रहा है क्योकिं झुनझुना इसलिये पकड़ाया जा रहा है कि क्योकि आप ग्राम पंचायत रायगढ़ में देखेंगे शिक्षा का स्तर युवाओं में शून्य की ओर बढ़ता जा रहा है। यह कंपनी ग्राम पंचायत लाखा में पहले भी स्थापित हो चुकी है उसका विकास हो रहा है विकास के नाम पर इससे पहले शिक्षा पर काम किया जाता तो शायद यह जनसुनवाई और व्यापक तौर पर सफल होता। उपरोक्त क्षेत्र पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है, जिसके तहत् मूल प्रारूप अनुसूचित जनजाति सामाजिक सांस्कृति भाषायी एवं आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण प्रावधान है। उनकी भाषा, संस्कृति परम्पराओं एवं जल जंगल जमीन पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था के लिये कानूनी जरूरी है खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है अगर संविधान की अनुसूचि 05 का उल्लंघन हो रहा है तो साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि संविधान की नीति निर्देशक तत्वों का यहां हत्या हो रहा है और वो भी प्रशासन के समक्ष चंद रूपयों के लिये ग्रामवासियों के भविष्य को दाव पर लगाया जा रहा है कुछ लोगों ने कहा है कि उसके घर पर देर है और अंधेर नहीं पर मैं कहना चाहता हू इस कंपनी के विस्तार के बाद लाखा में अंधेरा आयेगा और उसका जिम्मेदार वैजरॉन कंपनी और प्रशासन होगा। आप सबका मुझे सुनने के लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

537. विकास, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिये करता हूं क्योकि बेरोजगारो को रोजगार दिया है। लोग दूर दूर जाकर नहीं अपने घर में काम कर रहे है। जिससे उनका रोजी रोटी सबकुछ अच्छी तरह से चल रहा है। धन्यवाद।

538. विवके, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

539. नवनीत – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

540. राम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

541. हरिशंकर गुप्ता, गोढ़ी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का क्षमता के लिये जो आज जन सुनवाई हो रहा है जिसका मै विरोध करता हूं। इसलिये विरोध करता हूं यह प्रभावित क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 244 एक पांचवी अनुसूची क्षेत्र है। साथ ऐसा कानून लागु है। यह जन सुनवारी करना गैर कानुनी है तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संविधान अनुच्छेद का उल्लंधन होगा मेंरा दूसरा पॉईंट है कि केन्द्रीय वन पर्यावरण अधिसूचना 14 सितम्बर के तहत् किसी भी कंपनी के आवेदन जमा करने के 45 दिवस के अन्दर जन सुनवाई का आयोजन राज्य सरकार द्वारा कराना होता है अगर किसी परिस्थितिवस राज्य सरकार 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई आयोजन नहीं कर पाती है तो उस परिस्थिति में केन्द्रीय वन मंत्रायल एवं समिति के गठन कर जन सुनवाई करेगा जो संबंधित कंपनी का जनसुनवाई का आयोजन करेगा। इस कंपनी के द्वारा आवेदन जमा किया गया है 01 वर्ष पूर्व की है इस कारण यह जनसुनवाई केन्द्रीय वन पर्यावरण अधिसूचना 14 सितम्बर 2000 नियम के अनुसार उल्लंघन है इसके लिये यह जनसुनवाई निरस्त किया जाना उचित होगा। मेरा तीसरा पॉईंट यह है मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का होने वाली जनसुनवाई के द्वारा प्रभाव मूल्यांकन ई.आई.ए. तैयार की गई है वह जनसुवाई एवं कंपनियों की ई.ए. रिपोर्ट कंपनी द्वारा दी गई है वह 5–6 साल पुरानी है। केन्द्रीय पर्यावरण नई दिल्ली के आदेश के अनुसार किसी भी कंपनी की जनसुनवाई के लिये 03 वर्ष पुराने ई.आई.ए. रिपोर्ट को नहीं दे सकती परन्तु रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। 2011 के जनगणना के आधार पर लोकसुनवाई कराना अवैध है एवं गैरवैधानि है। मेरा चौथा पॉईंट यह है कि मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड स्थापना के बाद असफल रहा कंपनी से निकलने वाले धुआ से बुढ़े बच्चे जवान सभी त्वचा एवं कैंसर जैसे कई बिमारी से ग्रसित है। मेरा पांचवा पॉईंट यह कि मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के विस्तार से पर्यावरण प्रदूषण होगा वायु एवं जल समस्या बहुत बढ़ जायेगा। जिससे ग्रामवासियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य जीवन पर विपरीत असर पड़ेगा। मेरा छठवां पॉईंट है ऐसे समय जहां देश नहीं बल्कि पूरा विश्व पर्यावरण सूचना के कारण मानव जीवन के लिये चिंता का विषय बना हुआ है जहां कोरोना जैसे माहमारी के कारण हाकार मचा हुआ है ऐसे समय में इस उद्योग का विस्तार कराना पर्यावरण को खतरे मे डालने जैसा होगा। मेंरा सातवां पॉईंट है इस उद्योग के विस्तार से क्षेत्र का विकास की जगह विनाश होगा क्योंकि मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड स्थापना से ही धुल धुंआ कालापानी के कारण अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहा है। साथ ही क्षेत्र के लोगो के लिये अच्छी शिक्षा, अस्पताल रोड भी नहीं बनाया गया। यहीं कारण है क्षेत्रवासियों में क्षमता विस्तार के लिये काफी आक्रोश व्याप्त है। मैं कहना चाहूंगा सर इस जनसुनवाई को निरस्त करना चाहिये न आपके पास न कंपनी के पास न रोड है न बिजली है न कुछ है आप क्या कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ यह जनसुनवाई हो रहा है सिर्फ खानापूर्ति हो रहा है सिर्फ में इसमें आपका जो विकास हो रहा है सिर्फ उद्योगपति का ही विकास

हो रहा है और किसी का विकास नहीं हो रहा है यह जनसुनवाई सिर्फ पैसों से हो रहा है। अरे कब तक जियोगो शासन और प्रशासन की आड़ में एक दिन तुम्हे बेज देंगे अडानी व जिंदल के हाथ में। इस आसा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द जय छत्तीसगढ़।

542. घुरउ राम – विरोध हैं ।

543. नारायण – विरोध हैं ।

544. मुरली – विरोध हैं ।

545. मोहनलाल – विरोध ।

546. मुनुराम – विरोध ।

547. तोराम – विरोध है।

548. धनीराम – विरोध है।

549. गुरवारी – विरोध हैं

550. मोती – विरोध है।

551. ननकुन, – विरोध ।

552. लीला, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूॅ।

553. श्यामबाई, लाखा –

554. ज्योति, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूॅ।

555. कुमारी –

556. लक्ष्मीन, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूॅ।

557. अघन, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूॅ।

558. जमुना, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूॅ।

559. रूकमनी, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूॅ।

560. सुकमेत, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूॅ।

561. रश्मि, लाखा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूॅ।

562. दयानन्द, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।

563. पुरूषोत्तम, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।

564. बाबा – विरोध।

565. राजाराम, शिदेवर – विराध।

566. – विरोध ।

567. मिलुपारा – विरोध।

568. फुलबाई, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
569. घुरी, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
570. अल्का, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
571. पारमेश्वरी, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
572. पदमा, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
573. अनिता, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
574. गंगा, गेरावानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
575. अंजली, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
576. श्यामबाई, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
577. करीना, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
578. संध्या, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
579. नोनीबाई – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
580. फुलमति, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
581. उमा, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
582. दिव्या, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
583. पुजा, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
584. सुलोचना, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
585. नीलम, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
586. विमला कुमारी, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
587. प्रीतिबाई, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
588. गुरबारी, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
589. भुनेमती – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
590. पुजा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
591. विमलेश्वरी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
592. खुशीराम, – विरोध हैं
593. कार्तिकराम, मीलुपारा – विरोध हैं
594. मंगल, मीलुपारा – विरोध हैं
595. रतिराम, सत्ता – विरोध हैं
596. कार्तिक चौहा, – विरोध हैं

597. सोनु कुमार – विरोध हैं

598. लकेशवर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।

599. संतोष, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।

600. राधेश्याम शर्मा, रायगढ़ – यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कल कि तारीख में मैं और मेरे जागरूक साथियों ने विधिवत जिला प्रशासन कलेक्टर को और पर्यावरण को विधिक नोटिस प्रस्तुत किये है, उसका परिपालन नहीं हो पाया है और आज के दिन में इस जनसुनवाई को कराना यह साबित करता है कि प्रशासान दादागीरी पर उतारू हो गई है इस लोकतंत्र में तानासही प्रशासन कर रही है। जिस संविधान की शपथ और जिस अनुबद्ध पत्र से प्रशानिक अधिकारी सेवा में आते है उन सेवा शर्तों को भुल चुके है। इस प्रकार न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति पद का दुरूपयोग कर रहे है। छ.ग. में रायगढ़ जिला अतिप्रदुषित जिला है। अभी तक इसे अतिप्रदूषित क्षेत्र क्यो नहीं घोषित किया गया है। ये पर्यावरण मंत्रालय और रायगढ़ पर्यावरण मंडल का नैतिक कर्तव्य है कि यहां का पर्यावरण मूल्यांकन किसी फर्जी कन्सलेंट से न कराकर के विशेषज्ञों से मूल्याकंन किया जाना चाहिए जो हमारे देश में पर्यावरण विध हैं जो शासन प्रशासन में केन्द्रीय एवं पर्यावरण मंत्रालय में जो बैठे हुये जो विद्वान लोग है उनकी टीम गठित होनी चाहिये और छत्तीसगढ़ के कोरबा रायपुर रायगढ़ जैसे जिलो का मूल्यांकन किया जाना चाहिये कि यहां कि स्थिति क्या है। यहां की स्थिति न तो पर्यावरण अधिकारी महोदय बता सकते हैं और न ही प्रशानिक अधिकारी महोदय बना सकते है। उनको ऊपर से आदेश मिला और वो यहां हाजरी दे दिये जनसेवक जो जनसेवा मे जो वेतन ले रहे हैं क्या सेवक ऐसे होते हैं ये शासक बन बैठे हैं सब मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड की जन सुनवाई है पूर्ण रूप से 14 सितम्बर 2006 के पर्यावरण प्रावधानो के विपरीत है। क्योकिं कोई भी जनसुनवाई उस उद्योग की स्थापना की निकटतम ग्राम जिसकी भूमि पर वह स्थापित है जन सुनवाई वहां होना चाहिए था। यहां किस आधार पर प्रशासन जनसुनवाई करा रही है से समझ से परे है और उस क्षेत्र के जनता के साथ अन्याय है। उसके संविधानिक अधिकारों का हनन है। मैं देख रहा हूं कि जो समर्थन और विरोध में बोलने वाले हैं विरोध वाले तो काफी विद्वान दिख रहे हैं लेकिन समर्थन वाले किस बात से प्रभावित होकर उनका समर्थन कर रहे हैं प्रशासनिक महोदय का यह भी कर्तव्य है कि उनसे पूछें किन बातों से प्रभावित होकर उनका समर्थन कर रहे हैं किस आधार पर समर्थन कर रहे हैं क्योंकि पर्यावरण विभाग रायगढ़ संबंधित क्षेत्र के 10 कि.मी. एक जागरूकता अभियान चलाती है जिसमें नाटक के माध्यम से ग्राम पंचायत को उसे कंपनी से होने वाले नुकसान के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है वह इसलिये नहीं दिया गया है कि सबका पैकेट फिक्स है यहां कभी सांसद नहीं दिखते वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार के पांच विधायक रायगढ़ जिला में आये वो कभी विरोध करते समर्थन करते नहीं दिखते। मैं केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को एक विशेष टीप नोटिस करवान चाहता हूं जिसे निश्चत रूप से उल्लेखित करें कि प्रावधानों में

संशोधन हो सके सुधार हो सके कि जिस क्षेत्र की जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है। उन जनप्रतिनिधियों से एन.ओ.सी. प्राप्त करना अनिवार्य हो। क्योंकि व तांत्रिक प्रक्रिया में जनता अपनी बातों को बोल नहीं पाती। प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजती है। उद्योगों से पैकेज प्राप्त कर चुनाव लड़ते है। उनका आत्मबल गिर चुका है मर चुका है उनको जगाने के लिये जनता जिस दिन जागरूक होगी सड़क में यहां का आदीवासी यहां का नागरिक यहां की ग्रामीण महिला दुर्गा बनके काली बनके हनुमान बनके इनके ऊपर आक्रमण करेंगे और जब इनकी पिटाई शुरू करेंगे दौड़ा कर मारना शुरू करेंगे तब शायद इस क्षेत्र के जनजीवन का विकास होगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वन पर्यावरण मंत्रालय उन समर्थनों को खारिज करें उसे सिथिल मानले शून्य मानले जिसका आधार नहीं है कोई कहता है मेरा समर्थन है समर्थन का आधार क्या है उस व्यक्ति को समझ होनी चाहिए कि वह किस आधार पर उस कंपनी का समर्थन कर रहा है। विरोध करने वाला तो बताता है कि धूल धुंआ है प्रदूषण हो रहा है और हम किसी भी क्षेत्र में पीछे हो ज्ञान देने में रायगढ़ जिला के लोग पूरे भारत में आगे हैं। अभी कल ही की बात है खराब सड़कों के कारण औद्योगिक वाहन क्षमता से अधिक क्षमता के भार वाले वाहन के कारण दुर्घटना हो चुका है दो लोग मर चूके हैं। दो माताएं अपने बच्चों को गवा चुकी हैं। जो बहनें अपने सुहाग को गवां चुकी हैं उनको पता है कि दर्द कैसा होता जीवन का। यहां सिर्फ मनुष्य ही अपनी जान नहीं दे रहे बल्की पशु पक्षी व पूरी तरह से प्रदूषित है जिससे यहां का जैव विविधता जिसमें वनस्पति जलजीव मनुष्य अनेक प्रकार के पशु पक्षी सब इससे प्रभावित है। तो क्या जिला प्रशासन को इनका जान लेने का अधिकार है ये हत्यारे के रूप में है ये हत्या करने के लिए बैठे है। मौन होकर बैठ जाना प्रशासनिक अधिकारी के पद पर बैठ जाना ये इस पद के साथ न्याय नहीं है। मैं नागरिक होने के नाते और जन सेवकों का नागरिक होने के नाते प्रशासनिक अधिकारी को यह आदेशित करता हूं कि इस जन सुनवाई को अभी यहीं पर रोके और वापस जाये ऐसी जनसुनवाई हमें नहीं चाहिए। यह सत्रहवी जनसुनवाई है सबको अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने का हक हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ माईक में ही बोला जाये ये एक जनमंच है और ऐसा नहीं होना चाहिये कि इनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो मै आश्चर्य करता हूं कि हमारे प्रशाासनिक अधिकारी रायगढ़ कलेक्टर राष्ट्रपति से भी ऊपर हो गये हैं संविधान के पांचवी अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्र में आता है तो यहां पहले कुछ 10 कि.मी. के भौगोलिक क्षेत्र में जिसका वायुसीमा में ग्राम पंचायत में एन.ओ.सी. लेना आवश्यक है पिठासीन महोदय आप यहां जनसुनवाई का एक भी नियम नहीं बता सकते यहां पिदे जनता खड़ी है आप बता दिजिये कि किस किस 10 कि.मी. के एरिये में ग्राम के ग्राम पंचायत से आपको अनुमोदन मिला है जो आप यहां आ गये हैं आपको किसने अनुमति दिया है यहां आने का आप पुलिस का दुरूपयोग करके यहां आ रहे हैं पुलिस बल का जायज उपयोग कर रहे हैं भय पैदा कर रहें हैं ऐसा क्यों। इस स्वतंत्र भारत में अगर पर्यावरणीय जनसुनवाई इतना पाक साफ है तो इतने पुलिस बल की जरूरत नहीं होती स्पष्ट रूप से

14 सितम्बर 2006 की अधिसूचना में प्रावधान प्रावधानित किये गये है, जिसमें नियमों के अंतर्गत कई संशोधन भी किये गये हैं और मैं ये गर्व से कह रहा हूं कि रायगढ़ जिल में इतने जागरूक लोग है कि कई नियमों में परिवर्तन हुआ है और अभी भी उन परिवर्तित नियमों का परिपालन नहीं हो पाया है, और न ही करने की इच्छुक प्रशासन है अगर 10 कि.मी. एयर डिस्टेंस में आने वाले ग्राम परिषद्, नगर परिषद्, नगर निगम को अवलोकन के लिये जाना था तो ये 8.1 कि.मी के डिस्टेंस जिसमें रायगढ़ नगर निगम है वहां क्यो ई.आई.ए. रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया। मैं पिठासीन अधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूं किइस जनसुनवाई के लिये उनकी क्या तैयारी है क्या वो अपना इस पर ध्यान लगाये हैं कि कैसे उनको अपने पद के लिये जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है वो बतायें कि क्यो आयुक्त को कॉपी प्रेषित नहीं की गई और रायगढ़ नगर निमग के सारे नागरीको का अपमान किया गया है, उनके संवैधानिक अधिकारों से वंछित किया गया है। यह जनसुनवाई पूर्ण रूप से अवैधानिक है। यह यहीं पर बंद होना चाहिये, और इसके तत्काल बंद करके आपको वापस जाना चाहिये मैं जानता हूं आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं आपको भय है आपको मृत्यु का भय है कि आपको मरवा दिया जायेगा। आत्महत्या करवा दिया जायेगा राहुल शर्मा जी जैसे राहुल शर्मा जी की हत्या है। मैं खुले मंच से कहता हूं और ये हाई प्रोफाईल इसलिये होती है और कई कलेक्टरों ने आत्महत्या किया है उनकी आत्महत्या भी हत्या है सुनिश्चित राजनैतिक षड्यंत्र के तहत् ऐसे ही प्रदूषण के मुद्दो पर और कई जन मुद्दों पर राहुल शर्मा जी का हत्या हुआ। सी.बी.आई. की अदालत में दरख्वास्त लगाया कि मुझे सुना जाये मैं प्रथम रिपोर्ट दर्ज करने वाला हूं। मर्ग कायम होने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया दो बार घुमायें लेकिन मेरा बयान दर्ज नहीं हुआ। ये ऐसी हिटलरशाही तानाशाही चाहे केन्द्र में किसी की सरकार रहे राज्य में किसी की सरकार रहे वो उद्योगपति ही इस देश को चला रहे हैं और क्या सोंचकर ये पीठासीन अधिकारी यहां जनसुनवाई के लिये यहां आये हैं नहीं करवाने से क्या कोई गोली मार देगा क्या आपको क्या भय है आपको कि विधिक सूचना नोटिस के पश्चात् चुने हुये रायगढ़ के जनप्रतिनिधि हमारी बहन पूनम सोलंकी जो नेता प्रतिपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी से चुनकर के सदन में बैठी हैं नगर सरकार के उनका नोटिस है आपके पास नोटिस प्राप्त होने के बाद भीम सिंह महोदय क्यों निर्णय नहीं लिये। ये पैसा कमाने का बाजार है जो भीमसिंह यहा दुकान खोलकर बैठेंगे कल भीमसिहं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा और पर्यावरण अधिकारी और पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध और उसके पश्चात् देखते है कौन न्यायाधीश हमें न्याय नहीं देता है और कौन आपकी गिरफ्तारी नहीं करता है अपराध तो अपराध है आप लोग सुनियोजित तरीके से उद्योगो को लाभ पहुंचाने के लिये ये षड्यंत्र कर रहे हैं अभी यहां जनता कम है कहीं ऐसा न हो कि ये सैलाब में बदल जाये और वो सैलाब आपको बहा ले जाये तब ये पुलिस वाले क्योकि जीवन तो इनका भी जा रहा है इनके भी बच्चे, पत्नी, माता और का पिता बहनो के आयु का 5–6 वर्ष आप छिन रहे हैं। अपरोक्ष रूप से आप अपराध कर रहे हैं

ये हत्या का अपराध है सुनियोजित षड्यंत्र तरीके से आप हत्या करवा रहें हैं आप जिन सड़कें से चलकर आये आये हैं तो आपको पता नहीं क्या स्थिति है आपकी जो ज्ञान लेने की शक्ति है उसका कब उपयोग करेंगे। आपको किसने अधिकार दिया है के राष्ट्रीय उस मार्ग जिहसे देश संचालित हो रहा है, कानून विधि बनी है उस पवित्र संविधान का उसको अपमानित कर रहे हैं, उसकी अवहेला कर रहे हैं इसलिये कर रहे है क्योकि उच्च न्यायलय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक हरामखोर न्यायाधीश लोग हराम का पैसा खाकर बैठे है, कुर्सी को कलंकित कर रहे हैं ये भी चेत जायें उनके भी मार खाने की बारी आ रही है, इनको भी कुर्सी में नहीं बैठने दिया जायेगा। हम न्याय प्राप्त करने के अधिकारी हैं जो हमें न्याय नहीं देगा उसे कुर्सी से उतारेंगे। और मै निवेदन करना चाहता हूं पर्यावरण अधिकारी और पीठासीन अधिकारी महोदय से कि अभी तत्काल निर्णय लें। अपनी शक्तियों को और उस अनुबंध पत्र को जिन सेवा शर्तों के साथ अपनी नौकरी दे रहे हैं उनके साथ वो न्याय करें, मालिक न बने सेवक रहें। नागरिक इस देश का मालिक है राष्ट्रपति भी नौकर है। और आप नौकर हैं इसलिये आपको सुनना पड़ रहा है वरना इस न्यायिक पद पर रहते हुये राधेश्याम जैसे तुच्चा आदमी का बात आपको सुनना न पड़ता। डूबकर मर जाना चाहिये आप लोगों को। मुझे पता लगा है इस क्षेत्र में एक ईमानदार आदिवासी नेता का आगमन होने वाला है और मैं इस रायगढ़ की जनता की जनता की जान को उनके सुपुर्द करता हूं। उनके चरणों में निवेदन करता हूं। वे विद्वान भी हैं वे ईमानदार भी हैं कि इस जिसे में कानून का ऐसा उल्लंघन पीठासीन अधिकारी और पर्यावरण अधिकारी अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जिस अनुसूचित क्षेत्र में प्रधानमंत्री केन्द्रीय कार्य को कोई भी चीज, कोई भी सभा, कोई भी नियम को थोपने का अधिकार नहीं है। इस पांचवी अनुसूचि में माननीय उच्चतम न्यायालय के भी अधिकार सीमित हैं यहां कोई गाईड लाईन जारी नहीं कर सकते, निर्देश नहीं दे सकते सबकी मर्यादा हैं सबके दायरे हैं। मैं इस क्षेत्र के पुरूष महिलायें बच्चे इन सबको उनके चरणों में निवेदन करूंगा कि अगर इस क्षेत्र को बचाना है तो यहां जन सुनवाई की प्रक्रया नहीं होगी। आप माता लोग मां दुर्गा, मां काली, मां चंडी के रूप में आ जाईये तब आप अपने बच्चों की रक्षा कर पायेंगी। आज आपके घर का कोई खप्पर पा ले तो मेरा किसान भाई उसका पैर तोड़ देगा, उसका सर फोड़ देगा आपके बच्चो का जान ले रहें है, आपके मवोसिया का जान ले रहे हैं और आप मौन कैसे हैं। मैं बोल रहा हूं राधेश्याम शर्मा आपलोग बहुत कमजोर है अगर मेरी ताकत होती तो साहब का कॉलर पकड़कर उतार देता लेकित मेरी भी मर्यादायें हैं। मैं हिंसक नहीं हूं। मैं गांधीवादी तरीके से संवैधानिक स्तर पर कानूनी तौर पर अपनी बात को रखता हूं इसके बावजूद अगर रायगढ़ जिले में जिला प्रशासन ठान लिये हैं और हमारे कलेक्टर भीमसिंह जी ठान लिये हैं कि जनता चाहे कुछ भी करे मै इन उद्योग स्थापित करवाउंगा और इनका विस्तार भी करवाउंगा तो स्थापित करने और विस्तार करने की एक सीमा है एक निर्धारित मापदण्ड है। उन मापदण्डों को कौन बतायेगा कि कंपनियां जहां से सैम्पल कलेक्ट करती हैं मेरे इस बिन्दु को नोट

किया जाये कि जो तीन महीने में पर्यावरणीय अध्ययन कंसल्टेंट कंपनी करती हैं वो कंसल्टेंट कंपनी जब नमुने लेती हैं पानी, हवा और अध्ययन क्षेत्र में मिट्टी का तो उन पंचायतों से पंचनामा होना चाहिए और इन नियमों को माननीय पर्यावरण मंत्रालय जनहित में तत्काल संशोधन करे। एक वर्ष में जो तीन मौसम होते है जो अलग अलग ठंड, गर्मी, बर्सात का इन तीनो मौसमो में तीन तीन महीने का अध्ययन हो और रायगढ़ रायपुर कोरबा जिले के लिये एक अगल से टीम गठित किया जाये, ताकि पता चल सके छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विस्तार को विराम देने की जरूरत है और जब अति प्रदूषित क्षेत्र घोषित हो जायेगा तो जितने उद्योग हैं उनपर नियंत्रित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जायेगी लेकिन यह तभी संभव है पीठासीन अधिकारी को लगता है मेरे को सुनना है और ऊपर भेज देना है तो आपको बता दे आप डाकिया नहीं है आप पीठासीन अधिकारी है। जिला दण्डाधिकारी की हैसियत से आप इस कुर्सी पर बैठे हुये हैं आपका नैतिक कर्तव्य है दायित्व है कि आप टीप लिखें कि इसके लागे अब कोई जनसुनवाई नहीं होगी। आप इतना भयभीत क्यों हैं ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप यहां बैठे हुय हैं। जब आपको जनता बता रही है आपके मालिक बता रहे हैं जिनकी नौकरी करते है, जिनकी वेतन लेते हैं फिर भी इतनी बेसरमी इस पद के साथ न्याय नहीं है। अभी आपके पास विचार करने का समय है पर्यावरण अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी महोदय। आपको इसको दुकान बना लिये हो कि 01 बजे बंद कर दो, 02 बजे बंद कर दो कोई व्यक्ति आपत्ति या सहमति दर्ज करने वाला नहीं था। ये शासकीय समय जो कार्यालय रकता है बंद होता है उस समय तक आपके रूकना पड़ेगा। तीन जनसुनवाई से वंछित रहा हूं। 2 बजे 2:30 बजे किस नियमों के अंतर्गत। एक तो आप संबंधित ग्राम में जनसुनवाई न करके कई कि.मी. दूर असंवैधानिक रूप से जनसुनवाई कर रहे हैं फिर भी आपको बैठने की फुरसत नहीं है। आप अपनी ड्युटी नहीं कर पा रहे हैं अगर शारिरीक रूप से अस्वस्थ्य हैं तो छुट्टी लेकर सोयें 05 बजे तक नहीं बैठ सकते तो। नियमो का पालन कराना आपका पीठासीन महोदय फर्ज है। आप इतिहास मे अपना नाम क्यो नहीं दर्ज करते। डॉ. ब्रम्हदेव शर्मा जी आपके आई.ए.एस. उन्होंने पद का त्याग इसलिए किया कि मैं जन भावनाओ के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा हूं। वो भी तो आई.ए.एस. थे डायरेक्ट आई.ए.एस. थे। अब पेशा उन्होंने कानून को बनाया है।उसका प्रारूप उन्होंने बनाया है।जो प्रशासन के तरफ से समय निर्धारित है। उस निर्धारित समय में ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित है तो जनसुनवाई दो दिन चार दिन पांच दिन चलनी चाहिए। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आज आपने समय से पहले जनसुनवाई बंद कर दिया तो कुरूवंशी साहब मैं कल आपको अपके कुर्सी पर बैठने नहीं दूंगा। आपके कार्यालय में ताला बंदी करवा दूंगा। ये सार्वजनिक मंच पर मैं घोषणा करता हूं। मैं एक नागरिक होने के नाते अपने अधिकार का उपयोग करूंगा। उस न्यायिक पद पर आपको बैठने नहीं दूंगा। अभी भी आप सोच लिजिए विचार कर लिजिए आपके पास समय है। इस जनसुनवाई में जो उपस्थित है उनको आज दशा दिशा तय करना है कि आने वाले समय में सौ ग्राम धूल

खाना है बच्चों को खिलाना है और मर जाना है। मरने के बाद आपका नाम कोविड में जुड़ जायेगा सरकार ऐसी व्यवस्था रखी है। कोई कुछ में भी मरें कोविड में जोड़ दो एक्सिडेंट में भी मरें कोविड में जोड़ दो। आंकड़ा पहुंचाना है डब्ल्यू.एच.ओ. तक। यह कैसे संभव है। मैं आप सब लोंगो को यह जानकारी देता हूं कि छत्तीसगढ़ में कोरबा रायगढ़, रायगढ़ में कोविड के पैसेन्ट ज्यादा मिले। वो कोविड नहीं संक्रमण था प्रदूषण था। जिससे बिमार लोंगो को कोविड डिक्लेयर किया गया। क्योंकि कोविड को अलग से डिटेक्ट करने का विश्व में ऐसा कोई अनुसंधान नहीं हुआ है कि पर्टीकुलर उस वायरस को डिटेक्ट किया जा सके। रिसर्च करने में दस बीस साल लगेगा। दवा आने में दस–बीस साल लगेगा। एक छोटे बच्चे बिमार बच्चे जवान बच्चे एक जवान आदमी एक बुढ़ा आदमी अलग–अलग आयु वर्ग को औषधि के परिक्षण के लिए किया जाता है। लेकिन यह देश गुलाम है। 1947 15अगस्त की आजादी लोंगो को गुमराह कर रही है। उस अनुबंध पत्र को अभी तक कोई नहीं देखा है जिसमें आजादी के हस्ताक्षर हमारे बुजुर्गों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया है। मैं इस मंच को नारी शक्ति के सुपुर्द करता हूं। आज वो निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। मैं बहुत कमजोर हूं। मैं उनके साथ उनके पीछे हूं। मैं प्राण दे दूंगा लेकिन उनके पीछे से नहीं हटूंगा। मैं बहुत कमजोर हूं इसलिए उनके शरणागत हूं। आज ये महिला शक्ति इन प्रशासनिक नौकरों को जो अपने पद का दुरूपयोग कर रहें है वापिस भिजवायेगी। इस आशा विश्वास के साथ ये जो मेरे ग्रामीण किसान है आज वो बजरंगबली का रूप धारण करेंगे और आप लोंगो को बाध्य कर देंगे। मुझे विश्वास है एक महिला मेरी एक माता आप लोंगो को खदेड़ने में सक्षम है और पीठासीन अधिकारी महोदय मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपकी विवस्ता क्या है आप क्यों बैठे है क्यों आप इस जनसुनवाई को बंद नहीं करते। पूरी तरीके से असंवैधानिक है जब आपको लीगल नोटिस मिल गया है कि आप कैसे आ गये हैं आप पूरी तरह अपराधी हैं। उनको अभी कॉपी रिसिव करवाउंगा कि ये अपराधी को तत्काल गिरफ्तार किया जाये। यहां के पुलिस अधिकारी जो सक्षम हैं उनके अंतर यह बात बोल सकती है। ये अपराध घटित हो रहा है। प्रशासन के सक्षम अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि इन्ह तत्काल गिरफ्तार करें। ये मेरा मौखित एफ.आई.आर. है अगर इस मौखित एफ.आई.आर. को संज्ञान में लेकर के अपराध प्रतिबंध नहीं किया जाता तो पुलिस अधिकारी जो सर्वोच्च सक्षम अधिकारी हैं वो भी अपने पद का दुरूपयोग कर रहे हैं व माननीय पुलिस निदेशक महोदय से दिशा निर्देश ले लें क्योकिं एस.पी. महोदय भी विवश हैं वो भी लाचार हैं मजबूर हैं कमजोर हैं बेचारे हैं लेकिन यहां जो भी हैं मैं उन सब के शरण में हूं। पुलिस अधिकारियों के जन प्रतिनिधियों के वो आज इस निर्णायक लड़ाई को लड़े और छत्तीसगढ़ की जागरूकता का परिचय का परचम पूरे देश में लहराये कि नौकरों के साथ नौकरों जैसा व्यव्हार होता है। मालिक मालिक होत है। संविधान में जनता को मालिक बनाया है तो वेतनभोगी नौकर कैसे राज कर रहे हैं ये कुरूवंशी, पर्यावरण अधिकारी साहब किसके दम पर बैठे हैं कौन रक्षा करेगा इनकी, उद्योगपति, ज्ञान सबकों देनी है व्यक्तिगत

किसी का विरोध नहीं है ये विधि के प्रावधानों के वर्णन का विरोध है। आप माहमारी अधिनियम के अन्तर्गत आप किस आदेश से इसे आयोजन किया जा रहा हें। आप प्रशासन और पुलिस हजार की संख्या में यहां उपस्थित हैं आपके पास कौन सा अधिकार है। महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये इस देश के किस सर्वोच्च अधिकारी ने आपको आदेश दिया है। आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं आप मजाक बना रहे हैं महामारी अधिनियम का। आप नियम कानून का बात करते हैं किस नियम के तहत आप जन सुनवाई करवा रहे हैं। शादी विवाह मरने के लिये एक नियम बना लिये हैं। आप मुझे बैठने का आदेश मत कीजिये मैं अपनी इच्छा से चुनुंगा नौकर आदेश नहीं दे सकता। अपनी हैसियल मत भुलिये अपनी मर्यादा मत भुलिये। मैं अपने मर्यादा में संवैधानिक शब्दों का चयन करके बात कर रहा हूं। मैं तीन दिन बात करूंगा अलग अलग मुद्दों पर बात करूंगा। मै इस जन सुनवाई का विरोध करते हुये, पूर्ण विरोध करता हूं।

601. दिगम्बरी, सराईपाली – विरोध है। प्रदूषण हो रहा हैं
602. ज्ञानी, सराइपाली – विरोध है। प्रदूषण फेल रहा है।
603. पुजा साहु, हर्राडीह – विरोध है । जनसुनवाई बंद करें।
604. अदिती, सराईपाली – विरोध ।
605. दुधमेत – विरोध।
606. रूपा, सराईपाली – विरोध।
607. किरन, सराईपाली – विरोध।
608. थराई, सराईपाली – विरोध
609. रोशनी – विरोध।
610. राजकुमारी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।
611. उत्तरा कुमार, समायमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।
612. पुरन – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।
613. मंगल सिंह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।
614. सुखराम, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।
615. दिनदयाल, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ। कंपनी में जीवन खाना चलत है।
616. देवरात, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।
617. लुकेश्वर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।

618. राकेश, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।

619. निलाम्बर, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

620. मनीष – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

621. अमित – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

622. सुकलाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

623. नारायण, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

624. मोती लाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

625. नीराकार, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

626. अभय कुमार, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

627. राजेश त्रिपाठी, रायगढ़ – आज की जनसुनवाई का जो आयोजन किया जा रहा है केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के अनुसार और सर ऐसा प्रावधान है आज की जो जनसुनवाई है और हमारे हाथ में ई.आई.ए. अगर हम के बारे में बात करते है तो परियोजना लग रही है रायगढ़ ब्लॉक के चिराईपानी और जो जनसुनवाई का स्थल है उस गांव से वोल लगभग 08 कि.मी. है जो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो निर्देश मेरे केस में है गारे 4/6 का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पढ़ लिजिये उसमें है कि जनसुनवाई का संचालन परियोजना क्षेत्र के अंदर होना चाहिये। और कम से कम जो परियोजना क्षेत्र है उस ग्राम पंचायत के अंदर होना चाहिये और सर जब हम पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है जो ई.आई.ए. बनी है वो 10 कि.मी. एरिया के अध्ययन के मुताबिक बनी है। उसका एरिया कुछ अलग है। पर जो जनसुनवाई हो रही है अगर वहां के परियोजना पर बोल रहे तो पूरा क्षेत्र आधा क्षेत्र लगभग बदल जाता है और इस परियोजना के अंतर्गत एक नॉनप्रेसा एक्ट क्षेत्र के गांव आ रहे हैं रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र आ रहा है उस 10 कि.मी. की रेडियस में अमलीडीह घरघोड़ा का जो क्षेत्र है आ रहा इधर बंगुरसिया तक का क्षेत्र आ रहा। और इस ई.आई.ए. को मैं सर दावे के साथ कह सकता हूं ये मेरे पास इसी तराईमाल ग्रामपंचायत की पांच कम से कम ई.आई.ए. लेकर आया हूं और ये वो ई.आई.ए. हैं जिनकी जनवरी 2021 से लेकर अब तक जनसुनवाईयां की गई हैं और उनके डाटा को अध्ययन किया जाये तो कहीं भी, अगर अध्ययन हुआ है तो अध्ययन के साथ सबसे बड़ी बात है कि फिर अलग अलग ई.आई.ए. में अलग अलग डाटा उसी ग्राम पंचायत के अंदर आखिरकार क्यो आते हैं। ये आज कि जनसुनवाई, अभी मैं सुन रहा था कि लोगों ने कहा मैं जनसुनवाई समर्थन करता हूँ कुछ लोगों ने कहा मैं विरोध करता हूँ। 14 सितम्बर 2006 की अधिसूचना मे यह लिखा है किसी भी परियोजना के जनसुनवाई में टीका टीप्पणी है, सलाह है ये हमको रखना है ये कोई प्रक्रिया नहीं है बहुत लोगों ने कहा मैं समर्थन करता हूँ कुछ लोगों ने कहा मैं विरोध करता हूँ। आज की जो जनसुनवाई है इसका मकसद यह है कि अगर कोई परियोजना स्थापित होती है वहां के आसपास के वातावरण में पर्यावरणीय किस तरीके से प्रभाव हो रहा है। और उस

प्रभाव को खत्म तो नहीं किया जा सकता परन्तु उस प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं इस पर एक विचार विमर्श है। आज जो जऩसुनवाई हो रही है हमोर हाथ में जो कागज है ई.आई.ए. है जो कंपनी के लोगों ने बनाया है और आज के जनसुनवाई में लोगों के सलाह टीका टीप्पणी सुझाव आयेगा इसके बाद एक फाईनल ई.आई.ए. बनेगी और फाईनल ई.आई.ए. जो है वो केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय अगर पार्ट 01 में है और अगर पार्ट 02 में है तो वह छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के सामन पेश होगी और वो अगर सरकार विचार विमर्श करेगी और परमिशन देना है या नहीं देना है सर यहां वो नहीं बैठे है जो बैठना चाहिये या बैठने वाले लोग हैं। जो मेरे पास उनकी ई.आई.ए. आई है मै उनके कुछ चीजें प्रश्न करना चाहता हूं सर ये मेरे हाथ में जो ई.आई.ए. है उसमें एक चीज अगर कंपनी के लोग हो ई.आई.ए. बनाने वाले हो तो उनको खासतौर पर ये समझना होगा ये जो मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड की जनसुनवाई की ई.आई.ए. है सर आपने देखा है कि नहीं देखा है उनका ये जो कव्हरींग लेटर है इस कव्हरींग लेटर मे इन्होने कहा है कि चराईपानी, पाली घरघोड़ा तहसील के अन्तर्गत आता है। यानी उन्होनें पांचवी अनुसूची क्षेत्र में नॉनप्रेसा एक्ट को स्वतः अपने आप में ले लिया है और कव्हरींग में इतनी बड़ी त्रुटी है तो फिर इसके अंदर एक पूरा त्रुटि का भण्डारण है। कंपनी ने जो अपने ई.आई.ए. में बताया है कि हमने जो 10 कि.मी के अंदर अध्ययन किया है पर्यावरण का और जो समय बताया है ये समय जो है उस समय पर कोरोना का पिक काल चल रहा था। और जब गांव में आने जाने का कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं था उस दौरान ई.आई.ए. बनाने वाली कंपनी को क्या विशेषाधिकार मिला था और विशेषाधिकार दिया था तो तीन सीजन का इनका अध्ययन करना था एक बरसान का एक गर्मी का एक ठण्डी का जो मेरी गांव वालों से बात हुई इन्होने वहां किसी भी प्रकार का टूल नहीं लगाया जो पी.एम. 10 2.5 की मात्रा का अध्ययन इनको करना था। ई.आई.ए. बनाने वाली कंपनी किसी भी गांव ग्राम पंचायत में गई ही नहीं ये मेरी बात करीब दस सरपंचो से आस पास के लोगो से हुई है तो जब ये गावं में गये ही नही तो इनके पास कम्प्यूटर में प्रशासनिक और सरकारी डाटा होते हैं। इन्होने पुराने ई.आई.ए. का कट पेस्ट किया है। और उसके आधार पर इनके अपने दावे निकल के आये क्योकि परियोजना क्षेत्र केलो नदी भी है केलो डैम भी आसपास का जंगल को क्षेत्र भी है और बात यह है कि हमारे कंपनी का जो क्षमता विस्ता होगा वो 1,92,000 टन/वर्ष होगा 05 मेगावॉट से लेकर 15 मेगावॉट की बिजली भी पैदा होगी। अब बुनियादी सवाल है कि सर जब हमारे रायगढ़ जिले में इन्फ्रस्टक्चर ही नहीं है हमोर रायगढ़ जिले में सड़क ही नही है जहां से इनका माल आना जाना है तो ये माल आयेगा लगभग 02 लाख टन अगर हम देखे तो 500 टन के लिये गाड़ियां लगात है तो इनको 10 गाड़ियां लगानी पड़ेगी यानी 2000 टन के लिये इनको 20 गाड़िया लगेगी उस औसन से निकालने तो इनको सर लगभग 2000 गाड़िया लगेंगे। और वो ट्रक किस रोड में चेलेंगे अभी परसो का न्यूज है सर कि छत्तीसगढ़ में लगभग 8242 दुर्घटनाये जिनमें से लगभग 6500 लोगों

की सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हुई है। और रायगढ़ का आकड़ा है उसमें 442 दुर्घटनाये हुई है जिसमें 352 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरे हैं। एक यातायात के पुलिस अधिकारी ने काह कि लोग शराब पिने से मर रहे हैं तो आपके कहने से मान लिया कि पुरूष शराब पिने से मर रहे हैं परन्तु जो क्या महिलाये है वो भी शराब पीने से मर रहे है। और विकास की बात करते है तो सर रायगढ़ जिले में 333 करोड़ रूपये डी.एम.एफ. का पड़ा है 2015 से तो 2015 से लेकर आजतक इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम से रायगढ़ में सड़क क्यो नहीं बननी चाहिये सड़के जो डी.एम.एफ. का 200 करोड़ रूप्ये रखा है उसे आपने रखा है ये आपकी सड़के क्यो नहीं बन रही है लगभग रायगढ़ जिले में आज तक रायगढ़ जिले में लगभग 02 लाख करोड़ की पुंजी का निवेश हुआ फिर भी बेहतर शिक्षा के लिये स्कूल नहीं मिला बेहतर स्वास्थ्य के लिये अस्पातल नहीं मिला। स्थानिक निवासियों को रोजगार नहीं मिला। मोदी जी जैसे सरकार जो विकास का माध्यम हैं कि हम दुनिया में विकास कर रहें हैं जब हम भूखमरी के इंडेक्स को पढ़ते हैं तो 116 देशों में हमारा स्थान 101 नंबर आता है जो एक सच है। सर मै यह नहीं कहता कि उद्योग नहीं लगाना चाहिये उद्योग इस देश के विकास का रीढ़ है। लेकिन विकास दर का अध्ययन करें तो एग्रीकल्चर विकास दर 3.5 प्रतिशत रहा और अन्य विकास दर लगभ 46 प्रतिशत रहे। माईनस 46 प्रतिशत की सूचना इंडेक्स में है। फिर विकास की प्रक्रिया ढांचा की हम बात करें। तो हमारे देश हमारे रायगढ़ के लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क बिजली नहीं मिल पा रहा तो विकास किसके लिये है। एक दिन मैं अभी अध्ययन कर रहा था पूरे रायगढ़ जिले के अंदर 8000 मेगावाट बिजली पैदा होती है और रायगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो कई में 18 घंटे बिजली नहीं होती है यहां के लोग बैठे है वे लोग बता पायेंगे। तो फिर ये बिजली का उत्पादन किस लिये आप हमारे गांव में धूल भर दो नदियों का पानी ले लो जंगलों को खतम कर दो और बदले में आम जनता को आखिर क्या मिल रहा है तो ये भी एक अध्ययन का मुद्दा है। अभी 4–5 दिन पहले मैने तिवारी सर को बात किया था कि अगर सर एन.जी.टी. ने आदेश किया है कि रायगढ़ जिले के तमनार और घरघोड़ा के अंदर एक पर्यावरणीय अध्ययन होना है उस अध्ययन के मुताबिक यहां का पर्यावरण अगर और प्रदूषण सपोर्ट करता है तो नये परियोजना और पुरोन परियोजना के विस्तार पर विचार किया जाये। तो आखिर एन.जी.टी. का आदेश है उसका सम्मान क्यो नहीं किया जा रहा है तो उन्होने हमें रफ तरीके से कहा आप अपना काम कीजिये तो मैने बोला सर हम अपना ही काम कर रहें हैं। और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर एन.जी.टी. ने कहा। अभी रायपुर में अध्ययन हो रहा है और नागपुर की जो निरी संस्था है वो रायपुर में अध्ययन कर रही उसके बावजूद उन्होने कहा आने वाले समय वो टीम रायपुर आयेगी और अध्ययन करेगी। निरी संस्था के लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो हमारे पुरोन दोस्त है मैं उन्हे भी जानता हूं उनसे जब बात हुई कि यह अध्ययन कब तक होगा तो उन्होने बताया की मार्च के बाद ही रायगढ़ जिले में अध्ययन हो पायेगा। तब तक रायगढ़ में औसतन 16–17 वीं जन सुनवाई

हो गई है जो जनवरी फरवरी से औसत हो रहीं हैं आपकी जो प्रस्तावित जनसुनवाई हैं वो अभी लाईनों में है। तो ये जो 30 से 40 जनसुनवाईयां होंगी तो आपको मजे की बात बता दूं सर कि जिनकी जनसुनवाई करवा रहें हैं उन कंपनियों का 40 प्रतिशत से ज्यादा विस्तार हो चुका है वहां निर्माण कार्य शुरू हो गई है। यदि वो मानते है कि ये जनसुनवाई हो रही है और यदि नहीं हुई है तो हो जायेगी। तो हम ये निर्माण कार्य कर लेते हैं परमिशन तो मिलनी ही है। आपको बता दूं कि जामगांव में जो कंपनी है उसका 60 प्रतिशत निर्माण कार्य हो गया है जिसकी जनसुनवाई आपने निरस्त की है। रायगढ़ की तराईमाल में जिनकी जनसुनवाई आपने जिन कंपनियों की जनसुनवाई कराई है सर आप मेरे साथ चलिये उन कंपनियों का 40–50 प्रतिशत निर्माण कार्य हो चुका है। और पर्यावणीय स्वीकृति उन कंपनियों को नहीं मिला है। कल रात को चेक करके ये मैं बता रहा हूं तो आखि ये है क्या सरकार का जमीन स्तर पर कोई भय नहीं है, क्या हम विकास के उस पैगाम तक जाना चाहते है उस स्तर तक जाना चाहते हैं जहां लोगों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं इस पुरे क्षेत्र में सिलकोसिस, टी.बी. दमा, केंसर के मरीज हैं सिलकोसिस अभी तक 14 लोग मर गये और सरकार उनको टी.बी. की दवा दे रही है। और उनसे पूछा जा रहा है आप 2 साल तक दवा दिये जब टी.बी. का मरीज दवा से 1 साल में ठीक हो जा रहा है तो वो 2 साल में ठी क्यो नहीं हुये। हमने विदेश के डॉ. बुलाकर सराईपाली में कैम्प लगाकर जांच कराया या जिसमें 24 लोग सिलिकोसिस की बिमारी पाई गई और उनमें से जो 14 लोग गंभीर थे उनके सिर्फ 01 आदमी बचा है बाकी 14 लोग मर गये और सरकार अभी दावा कर रही है इस क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार की बिमारी नहीं है। तो हमारा यह कहना है कि ई.आई.ए. बना रहे थे अगर गांव ई.आई.ए. बनाने हुये गये थे तो निश्चित ही 10 कि.मी. की एरिया में आप चिराईपानी लाखा गेरवानी तराईमाल यहां तो गये होंगे। और कही भी ई.आई.ए. के अंदर मजे की बात यह है सर मैने दोनों ई.आई.ए. पढ़ा स्थानिय लोगो के स्वास्थ्य के लिये कंपनियां क्या काम करेंगें इसके बारे में ई.आई.ए. के अंदर कही भी एक शब्द नहीं लिखा गया है। ई.आई.ए. अंदर है ही नहीं। इस क्षेत्र में 12 से 15 हजार जनसंख्या है ये भी बता यहां 30 से 40 आंगनबाड़ी हैं, 15 से 20 प्राथमिक स्कूल हैं हायर सेकेण्डरी स्कूल है बच्चे पढ़ रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। और रायगढ़ जिले में आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे में 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषण है। सबसे ज्यादा कुपोषण है वो औद्योगिक क्षेत्र में है कि उनकी खेती का काम खतम हो गया, पशुधन खतम, जंगल पर उनकी अधिनता थी खाद्य सुरक्षा थी खतम हो गयी तो परिणाम ये निकला कि लोग कुपोषित हो गये। गर्भवती महियांए 67 प्रतिशत महिलायें कुपोषित है। शिशुवती महिलाओं का कुपोषण 71 प्रतिशत है। ये मै नहीं बोल रहा हूं रायगढ़ जिले के डॉक्टर बोल रहे है। तो अगर हमारे विकास की प्रक्रिया बढ़ी है तो जो लोग हैं उनके बच्चों गर्भवती शिशुवती महिलायें है उनमें कुपोषण की मात्रा दिन प्रतिदनि कैसे बढ़ रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है सर कि विगत् वर्ष सन् 2000 के बाद इसके पहल गिनती की कंपनियां थीं गांव में

स्वास्थ्य कैम्प लगाते थे वहां के लोग उनका स्वास्थ्य परीक्षयण करते थे दवाईयां भी दी जाती थी पर विगत 10 सालो के अंदर इस एरिया के 10 कि.मी. के अंदर एक भी स्वास्थ्य केम्प ग्रामीणों के बीच नहीं लगा है जिसमें लोगों के बीच स्वास्थ्य परीक्षण किय जा सके और जिससे हमें पता चले की स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों का स्वास्थ्य किस दिशा में है। तो मैं ये सब चीजें चाहता हूं सर यहां कंपनी के लोग भी उपस्थित मैं उस तरह के समर्थन या विरोध का पक्षधर नहीं हूं मैं जब भी किसी जनसुनवाई में आता हूं तो मुझे जो कमियां भूल चूक दिखाई देतीं है उन्हे आपके माध्यम से ई.आई.ए. बनाने वाले लोग हैं और यहां जो स्थानिय लोग हैं उनके बीच अपने बात को रखता हूं तो आज की जनसुनवाई के लिये मुझे इतनी बात रखनी थी जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार पुनः सम्मानिय पीठासीन अधिकारी महोदय हम सभी के सुरक्षा के लिये रात दिन मेहनत करने वाले पुलिस के अधिकारी व कर्मचारीगण शांति व्यवस्था को बनाये रखने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सभी साथियों का मैं उनका स्वागत करता हूं धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

628. दुरपति गुप्ता – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
629. सरोजनी, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
630. पसिनाबाई, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
631. मैलेनी, उज्जलपुर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
632. किरन, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
633. प्रभा, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
634. किरती, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
635. संकुतला, सामारूमा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
636. ब्रिजेश तिवारी, रायगढ़ – मै पिछले दो घंटे से वॉच कर रहा था। काफी बात हुई। मौलिक अधिकार लोगो का होता है। जो कुछ न कुछ अपना विचार रखेंगे जो उनका अधिकार है बड़े हर्षोउल्लास के ये करोन का पिरियड देखते हुये आज उद्योग जो लग रहा है लोगों में नवजवानों में खुशी है उद्योग लगने में रोजगार मिलेगा। कितने भूमिपति लोग हैं इसमें एक से लेकर अनेक लोगों का भला होगा। बहुत खुशी की बात हैं मै इण्डस्ट्री के एम.डी. महोदय हैं जो भी संचालक होंगे अपने तरफ से भरपूर समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
637. भजनलाल डनसेना, चिनाईपानी – समर्थन करता हूं।
638. राजु, चिराईपानी – मै वैजरॉन कंपनी का समर्थन करता हूं। हमारे यहां प्लांट लगा है। थोड़ा सा गांव वालों का कुछ न कुछ भला होगा। मैं कंपनी का समर्थन करता हूं।
639. भजन, घरघोड़ा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

640. सचिन, घरघोड़ा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

641. राज, घरघोड़ा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

642. श्रवण, रूमकेरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

643. शुभम मालाकार, तराईमाल – .सबसे पहले मेरे पास 12 पंच का साईन किया हुआ ज्ञापन है। जिसको मैं कल कलेक्टर के पास सौपूंगा। यह आदीवासी क्षेत्र है। बिना प्रतिनिधित्व का जो पंचायत से बिलॉग नहीं करता है। वो ग्राम पंचायत में अधक्ष्यता करता है उसका पता होगा आपको। कंपनी ने जब इन पंचों से साइन कराया है तो ये 12 पंच मेरे साथ विरोध करने क्यों आये। तराईमाल का ग्राम सभा का लिखित दस्तावेज चाहिए मेरे को। चिल्ला चिल्लाकर मेरा गला बैठ गया है मैं आपको संबोधित नहीं कर सकता। मै। वहां से 1.5–2 घण्टे से चिल्ला रहा हूं जो आदमी मुझे नहीं सुना मैं उसको संबोधित नहीं करूंगा। सबसे पहले यहां बंजारी में जबसे मैं जान पाया हूं। नवम्बर 2020 से जनसुनवाई हुई है। 3.3.2021 को एन. आर.वी.एस. पुंजीपथरा जस्ट कोरोना काल के बाद तीन माह के लाक डाउन के बाद फिर उसके बाद संक्रमण बढ़ रहा था तब उसके बाद 3 मार्च 2021 एन.आर.वी.एस. पुंजीपथरा का जनसुनवाई चला ये तो समझ में आता है। फिर तत्कांल एक दिन छोड़कर तीसरे दिन 5 मार्च 2021एन.आर.वी.एस. पुंजीपथरा का जनसुनवाई होता है। इस प्रकार रायगढ़ प्रशासन मेरे पास आंकड़े है लगातार 12 जनसुनवाई करवाई है। तो आज कहां डरेंगे आज तो छोटा–मोटा प्लांट है। हम लोग इतना चिल्ला रहें है फिर भी जनसुनवाई हो रहा है। ये बंजारी मंदिर जनसुनवाई का अड्डा बन गया है और 10.3.2021 को बी.एस.स्पंज प्रा.लि. का जनसुनवाई हुआ है। उसके पांच दिन बाद उसी तीसरे महीने में 24.3.2021 को एस.एस. स्टील प्रा. लि. पाली का जनसुनवाई हुआ। फिर उसके 14 दिन बाद 07.04.2021 को अग्रोहा आयरन एंड इंडस्ट्री पाली का जनसुनवाई हुआ था। 28.07.2021 को सिंघल इंटरप्राइजेस का जनसुनवाई था। फिर उसके बाद 10.08. 2021 मेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट के लिये जनसुनवाई हुआ था। जितने भी जनसुनवाई हुई है जो प्राईवेट थी एन.आर.वी.एस., एस.एस. स्टील, अग्रोहा, सिंघल और आज वैजरॉन इसमें से सभी प्राईवेट लिमिटेड थी। ये सभी प्रबंधन को बिलॉन्ग करती थी। मतबल ये सभी पैसा देने में सक्षम है। लाख करोड़ रूपये ये बांट सकते थे लेकिन वही प्रशासन द्वारा मेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट के लिये पूंजीपथरा में प्लांट लगाया गया था। जिसको कोई स्पॉन्सर नहीं कर पाया उसके विरोध के लिये ये लोग गाड़ी भरभरकर लोग लाये थे। और आज ये पैसे में बिके हुये हैं इसलिये समर्थन करने आये हैं। अगर उस दिन मेडिकल वेस्ट वाला जनसुनवाई सफल हो जाता तो लगता ये लोग पैसा नहीं खायें हैं लेकिन इनसे नहीं हो पाता है खासकर तो कर तो तराईमाल के दलाल लोग से और आगामी 10 दिवस के भीतर जो चल रही 23.10.2021 को वैजरॉन की जनसुनवाई है फिर इसके एक दिन बाद 25 को शांभवी इस्पात का जनसुनवाई है। मै तो उस दिन करने नहीं दूंगा जनसुनवाई पहले तो कल कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपा हूं। और 12 पंचों का साईन

किया हुआ मेरे पास दस्तावेज है। तो ये ग्राम पंचायत में पारित हुआ नहीं होगा तो ये कहां से कलेक्टर के पास भेज दिये। फिर 29.10.2021 को एन.आर.वी.एस. तराईमाल का है। ये भी करप्ट प्लांट में आते हैं जिसकी जनसुनवाई पिछले 03.05 को हुई थी दो प्लांट एक पूंजीपथरा में और एक प्लांट तराईमाल में लगाये है। दोनो को आसान तरीके से कर लिये तीसरा इनके लिये मुश्किल हो जायेगा। मेरे तरफ से कोशिश रहेगा ये विफल रहें। 10.11.2021 को सद्गुरू पूंजीपथरा की जनसुनवाई होनी है उसका मेरे पास अभी तक कोई दस्तावेज नहीं है बाकी होनी है उसका मैं फिर से ज्ञापन सौपूंगा मतलब आज के बाद जन सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अब ये बताई यहा जो निवासरत् लोग है या तो उल्लु है या तो प्रशासन अन्धा है। जनसुनवाई में आना कलेक्टर का अधिकार है परन्तु पता नहीं आपको यहा किस अधिकार से भेजा जात है और आप यहां आकर बैठते हैं यह वहीं बात है खुद बचने के लिये दूसरों को भेज दो। वर्तमान में जितनी भी प्रसाशन उपस्थित हैं मै उनसे पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ रायगढ़ संभावित के अलावा ये कितने वेतन भारित करते हैं। मुझे यहां उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारी हूबहू नजर आते हैं। उनको अब जनसुनवाई कराने के लिये कोई प्लान की आवश्यकता नहीं होती आओ पोजिशन सेट करो और जनसुनवाई करवाओं। मतलब ये आदत बन चुकी है वो अपना एक जगह बना लिये है किसको किस जगह बैठना किसको पेड़ के नीचे रहना है किसको मंदिर गेट के सामने रहना है। सब सेट है। मैं तो कहता हूं यहां एक नोटिस बोर्ड चिपका दो बंजारी मंदिर में फलाने जगह में फलाना आदमी बैठेगा और जनसुनवाई होगी। और स्थाई रूप से ये जनसुनवाई करवा दो। जैसे कि निम्न कर्मचारी का कर्तव्य है वो 8 बजे से आ जाते हैं यहां पर फिर आपके जैसा या पुलिस बल के उच्चाधिकारी आते हैं 11 बजे। चलो लग जाओं अपने सेटअप पें आप अपने जगह बैठ जाते है। सबसे बेस्ट है बंजारी मंदिर यहां कोई डिस्टर्ब नहीं है, पेड़ पौधे दुनियादारी। सबको वहां सेटअप कर देना है। यहां कोई प्लानिंग करनी नहीं पड़ती इसलिये यहां जनसुनवाई होती है। मै पूछना चाहता हूं जितने भी प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी किसी में हिम्मत है तो मेरे साथ जाके बंजारी पीठ में कसम खाये और बोले मै किसी प्रकार का रकम शासन से नहीं लिया हूं। और अगर नहीं लिया है तो मै उसे दुगुना पैसा दुंगा। बतादें यहां उपस्थित पुलिस हो निम्न अधिकारी या उच्च अधिकारी हो। कोई बोल दू बंजारी मां को छूकर की मैं नहीं लिया हूं उसको मैं गिफ्ट दूंगा। चाहे कर्मचारी अधिकारी दलाल या किसी वर्ग के हो या पंचायत के आदमी हों कोई हो। यहां 500 आदमी है चाहे प्रशानिक या आम आदमी को मिलायें वो तो चले गये वो तो छू ही नहीं सकते काहे कि 200 रूपये में आये थे। जहां तक प्लांट का बात है यह कंपनी चिराईपानी में है जिसका जन सुनवाई बंजारी मंदिर में रखा गया है इतना दूर 5.6 कि.मी दूर। मतलब आदमी समझ नहीं पायेगा। वर्तमान में काई बता दे कि वैजरौन क्या फिल्ड में चलता है, क्या बनातें हैं कोई बता पायेगा। मैं बताऊ काहे अगर कोई वैजरॉन प्लांट जाना भी चाहे तो जा नहीं पायेगा। उसको 03 बार दिखाना पड़ेगा तब जाके पहुंचेगा वैजरॉन प्लांट

इसलिये शायद जनसुनवाई वहां नहीं करवा रहे है। जब इनके लगभग 15.327 हेक्टेयर जमीन है। अनुमानित उनके पास 37 एकड़ जमीन है उसमें जन सुनवाई नहीं करा पायें। दूसरे गांव में क्यो करो रहे हो बोलने से बोलते है ये हमारे आदेश मे नहीं हैं कलेक्टर साहब इसको चिन्हाकिंत करते है। बंजारी मे सर्वसुविधा है वहां डिस्टर्बेन्स नहीं है मंदिर है, मौहोल बिगड़ने वाले नहीं है इसलिये जनसुनवाई करवाते हैं। प्रबंधन बोलते हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन सोपने पर बोलेंगे है ये सब ये लोग ई.आई.ए. रिपोर्ट में सौंपतें हैं और ये लोग खुद जगह सलेक्ट करते है करके आश्वासन मिलता है। स्पष्टीकरण कौन दे पायेगा कि बंजी मंदिर में कराने का श्रेय किसको जायेगा। बताईये कलेक्टर साहब बतायेंगे ही फोन करके पूछ लीजिये। बता दे क्यो होता है बंजारी मंदिर में जनसुनवाई। आपके मालिक प्रबंधन तो बैठे ही नहीं है। फालतू का जनसुनवाई। बंद करो। प्रबंधन को बुलाईये वरना बंद करो जनसुनवाई। लिखित दीजिये प्रबंधन नहीं बैठा है। सर बताई कितने लोग ने जनसुनवाई मे बोला है। भूल गया तो कौन पूछेगा सवाल। लिखित दीजिये इतना इतना टाईम तक प्रबंधन अनुपस्थि था। सब चीज मौखित चल रहा है। क्या रिस्पॉन्सिबिजिलटी है आपकी। 600 लोग समर्थन करके चले गये। आप जीत गये जनसुनवाई। लिखित में हमें दिजीये कि कोई उद्योग प्रबंधक नहीं है यहां। मेरे पास 4–5 पन्ना बचा है लीगल वाला बचा है। मेरा अधिकार बचा है। मेरे पास 12 पंय हैं वो सबूत है। जब चिराईपानी का आदमी बोल के गया ऐसा प्रॉब्लम है करके और आप लोग लिखित नहीं दे सकते। लिखित दे देंगे तो आपका वेतन घट जायेगा छत्तीसगढ़ राजस्व से भारित वेतन नहीं बोल रहा हूं। प्रबंधन से भारित वेतन कट जायेगा। लिखित दीजिये पर्यावरण या पीठासीन अधिकारी। मुझे लिखित चाहिये मैं किसी को बोलने भी नहीं दूंगा फिर काहे कि मेरा बात खत्म नहीं हुआ आप रोक के रखे हो मैं बात करने के लिये तैयार हूं। लीगल का मान्य लिखित में है मौखिक में नहीं है। लिखित में दिजिये फिर देखते हैं कितना जनसुनवाई करवाते हो। पंच प्रतिनिध बोल रहे हैं बताईये। या फिर जब आप ग्रामसभा में कराये तो ये भी उपस्थित थे। तो ये लोग जारी सिगनेचर करके प्रस्तावित कर दिये क्या। कोई बोलेगा ही नहीं किसी में हिम्मत ही नहीं है। कोई बोल दे समर्थन में आ रहा हूं। आपका सटडाउन टाईम 5 बजे का है। जिसको आप लोग जल्दी से करते रहते हों जल्दी जल्दी से आये करते रहते हो। ऐसे जनसुनवाई आप करवोत रहेंगें सद्गुरू का, शांभवी का, एन.आर.वी.एस. का एक दिन छोड़ो दूसरा दिन जनसुनवाई। मीटिंग होता है कितना लेना है वरना और जल्दी होता जनसुनवाई 23,24,25,26,27 को लगातार होता। हम लोग तराईमाल के आम नागरिक है तो हमें दबा दिया जाता है। लिखित में दे दीजिये। ऐसे में आप लोग ही करा लेते वही बैठे बैठे रायगढ़ में ही जन सुनवाई। लिखने में क्या जाता है कितना समर्थन कितना विरोध हुआ है। मैं लिख दिया हूं उसमें साईन सिग्नेचर कर दीजिये। आपको कई बार देखा हूं सामारूमा को सामारूपा बोलते हो देखे हो सर कहां है सामारूपा। प्रबंधन से ज्यादा ये लोग प्रदूषण फैला रहे हैं जनसुनवाई करवाकर। निम्न अधिकार का सर चढ़ जायेगा आपका चढ़ना चाहिये। लिख के

नहीं दे सकते लिख दिया हूं तो रिसिप्ट नहीं दे सकते। समर्थन विरोध करने नहीं दूंगा माईक छोडूंगा नहीं। क्या पर्यावरण अधिकारी हो साईन नहीं कर सकते तो इनको वहां बैठा दो आप यहां बैठ जाओ। जनसुनाई मतलब मजाक पैसा बांट दिये तो सबको खरीद लिये। चुनाव टाईप से बना दिये हैं। शासन का पैसा खाते तो ड्युटी करते प्रबंधन का पैसा खा रहे हैं तब ईधर उधर भाग रहें हैं। बोलये अब मेरे पास सबूत है जो बोल रहे थे मेरा स्टाफ दे रहा है करके। ऑनरिकॉर्ड बोलिये। मैं सहमत हूं बोलिये दोनो सर बोलिये। या तो आप क्लियर नहीं हैं या तो मैं क्लियर नहीं हूं दो चीज हो सकता है। प्रबंधन अनुपस्थित था न। कि 657 लोग यहां आकर मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज चल रही थी जो कि चिराईपानी में स्थित है और ये अधिकारी बिना प्रबंधन के उपस्थिति के जनसुनवाई करा रहे थे। ऑनरिकार्ड है मेरे पास कल न्यूज में चलाऊंगा फिर देखता हूं क्या होता है। यहा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत् पंचायतराज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में लागू है और छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला है जो संविधान की पॉचवी अनुसूचि में शामिल है। इसके अंतर्गत जिला रायगढ़ का ग्राम चिराईपानी और पाली दोनों में प्लांट स्थापित है। और दोनो ग्राम अनुसूचि क्षेत्र में आता है और जहां पर अधिनियम 1986 लागू है यहां ग्रामसभा सर्वोपरी है। मेरे साथ 12 पंच विरोध किये है 10 कि.मी. एरिया के अतर्गत प्रदूषण की जिम्मेदारी लेते हैं तो ये किससे अनुमति लिये हैं 12 पंच तो मेरे साथ है तो ग्रामसभा में कैसे एन.ओ.सी ले लिये। जब 12 पंच तो मेरे साथ हैं तो सरपंच या उपसचरपंच या किसी दलाल से एन.ओ.सी. ले लिये होंगें। इनको एन.ओ.सी. के बारे में कुछ पता नहीं रहता इनको दलाल किसी तरह पैसे देकर साईन ले लिया है लेकिन ये आज विरोध करने आये हैं इनका लिखित हस्ताक्षर मेरे पास है ये प्लांट के विरोध में है और इललीगल है कि आप जनसुनवाई चिराईपानी से 5.6 किलोमीटर की दूरी पर जनसुनवाई करवा रहे है। मतलब कलेक्टर पूरा खाने वाला है या प्रबंधन पूरा देने वाला है यहा दलाल ज्यादा मिलते है। अगली जो भी जनसुनवाई होगी बंजारी मंदिर में तो ए.डी.एम. सर के जगह कलेक्टर उपस्थित चाहिये। मैं आज सोच लेता हूं कल ज्ञापन देता हूं 24 घंटे तो पर्याप्त हैं सोचने के लिये जब कलेक्टर की जगह ए.डी.एम. जवाब नहीं दे सकते तो कलेक्टर की जगह इनको पीठासीन अधिकारी बनाने का क्या मतलब है कि कलेक्टर से ज्यादा आपा लोगों को ऑफर मिलता है। आपको कलेक्टर को बोलना चाहिये जनसुनवाई आपका अधिकार है पेशा एक्ट का जो पालन है उसका कोई मतलब नहीं है, पंच पॉवर का कोई मतलब नहीं है बस दलालों का मतलब है। दलालों को दे दो पैसा हो गया जनसुनवाई सभी दलालों को भी चुनौती दे रहा हूं अगली बार जनसुनवाई में आउंगा तो दलालों के नाम समेत कितने में बिके है रकम सहित लिखकर आउंगा। ग्राम पंचायत का नियम अभी ये अन्य ग्राम पंचायत को निःशुल्क परामर्श देते हैं जहां जनसुनवाई होना रहता है। बस एक शर्त है जिस क्षेत्र का जनसुनवाई होना है उसके प्रबंधन को अपना साईड लाना है फिर हो जायेगा सब व्यवस्था मीटिंग, खाना हो जायेगा फिर अधिकारी भी आ जायेंगे। जनसुनवाई को मजाक बनाकर रखें हैं। जब आप लिखित में कुछ दे

नहीं सकते तो अपको यहां बैठने का अधिकार है नहीं। प्रबंधन के बिना यहां जनसुनवाई करवा दिये। 657 लोग यहां समर्थन विरोध बोलकर गये क्या प्रबंधन उनको सुना है जहां तक मेरा सोच है अनुसुचित क्षेत्र में राष्ट्रपति से बढ़कर ग्रामसभा का दायित्व है या तो यहां ग्रामपंचायत का कोई महत्व नहीं है या ग्रामपंचायत को ये समझ नहीं है किसके लिये एन.ओ.सी. देना है किसके लिये नहीं बस आ गये प्रबंधन के प्रतिनिधि दे दिये इनको पैसा, फिर ये दे देते हैं एन.ओ.सी. ये खाते रहें पैसा और बाकी जनता मरते रहे। जनसुवाई को ये रायगढ़ प्रशासन बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये जनसुनवाई लीगल तरीके से होता तो यहां लोकल मीडिया स्टेट मीडिया सभी उपस्थित होते लेकिन मीडिया आयेगी नहीं उनके उपर अधिकारी तक पैसे पहुंच गये हैं उनका जेब भी फूल है। मैं प्रुफ कर दूंगा कि ये जनसुनवाई इललीगल तरीके से हो रहा है यहां बैठने का अधिकार कलेक्टर को है, गलती मेरी ही है जो इस जनसुनवाई में आया, अपनी बात रखा, चिल्ला चिल्लाकर अपना गला बैठाया। मैं इस जनसुनवाई का घोर विरोध करता हूं। धन्यवाद

644. लक्ष्मीकांत दुबे, रायगढ़ – इस लोक जनसुनवाई जो केवल नाटक के तौर पर चल रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं और सर्वप्रथम जितने प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जो यहां पर जनता की सुनने आये हैं। सर्वप्रथम हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करूंगा आग्रह करूंगा कि बंजारी मंदिर के पीछे में बंजारी माता के पीछे में आप गलत काम कर रहे है। आप भगवान को छूकर हाथ जोड़कर ये बोलिए कि आप उद्योग से पैसा नहीं लिए है ना ही किसी के राजनैतिक दबाव में हैं। क्योंकि कोर्ट में भी आजकल गीता में हाथ रखकर कसम दिलाया जाता है। पहले कसम खाइये फिर जनसुनवाई आगे बढ़ेगा। हम लोग छत्तीसगढ़ के गरीब आदमी हैं। अधिकांश जनता यहां पर पढ़ी–लिखी नहीं है। बस यह कह रहे हैं कि विरोध कर रहा हूं समर्थन कर रहा हूं। अगर समर्थन कर रहें है तो बताईये कि क्यों समर्थन कर रहे है। आप लोंगो से मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ चलें और कसम खाये और बोले प्रबंधन से पैसा नहीं लिये कोई प्रशासनिक दबाव में है क्या ये भी बतायें। उसके बाद हम लोग अपनी बात रखेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा इस देश का आप खुद न्युज और सोसल मिडिया में पढ़ते होंगे यहां जो भी पुलिस वाले है वो अपनी ड्युटी कर रहे है। मैं उनका विरोध नहीं करता उनका सम्मान करता हूं जितने भी वर्दी वाले हैं। लेकिन इन सबको आप यहां पर लाकर लगा देते हो। वहीं दूसरी ओर कहीं दुर्घटना होता है अपराध होता है वहां पुलिस 3 घण्टे में नहीं पहुच पाता है। इसमें गलती पुलिस की नहीं है सर गलती आपकी है। आप इनकी ड्युटी यहां लगा देते हो। आपको पता है सर बड़े–बड़े नेता लोग इसी चक्कर में आज तक पता नहीं चला और ईमानदार लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सर कई लोग यहां छत्तीसगढ़ी वाले भी है तो मैं चाहता हूं कि जो भी आप लोगो का प्रशासनिक स्तर पर हो जो विधिक सहायता प्रदान करें हमें यह बताये कि हम विधिक रूप से क्या कर सकते है। चूंकि मैं लॉ का स्टूड़ेट नहीं हूं ना ही मैं एल.एल.बी. किया हूं। तो मैं चाहता हूं कि हमें विधिक सहायता प्रदान किया जाये । तो यहां पर जिला विधिक की भी टीम बैठाये जाये जो हमें निःशुल्क

जानकारी उपलब्ध कराये और मैं आगे की प्रक्रिया पूरी करूं अन्यथा इस जनसुनवाई को यहीं निरस्त कर दिया जाये। सर विनम्र निवेदन है आप लोग मां बंजारी मंदिर से टीका लगा के आयें। यहां की व्यवस्था बहुत खराब है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिये हैं उसके बाद भी जनसुनवाई हो रहा है सर। इससे पहले जनसुनवाई हुआ 1 बजे 2 बजे बंद कर देते थे। दुकान थोड़ी है सर सबको सुनिये आप। सर समय बता दें कब चलेंगे मंदिर। हम आश्वस्त तो हो आप लपोग जो न्याय करने आये हैं वो सही है सर। यह जो जनसुनवाई इसके बारे में कितने गांव में पामप्लेट बटावायें हैं। समर्थन विरोध के फायदा के बारें में लोगों को बताने के लिये कितना कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में जानकारी दे दीजिये सर। कितने लोग को पता है आज जनसुनवाई है। सर किसी भी जनप्रतिनिधियों को आप लोग सूचित ही नहीं किये हो कोई विधायक, शासक नहीं है कोई सरपंच नहीं है आप लोग जनसुनवाई कर दे रहे हैं सर। जनप्रतिनिधियों को भी तो बुलाईयें सर ससम्मान। खाली माला पहनाने के लिये बुलायेंगे क्या, जनसुनवाई है आप लोग सादर आमंत्रित हैं करके बुलाईये सर उनको। कल जिला कलेक्टर महोदय एवं प्रवण अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था। जिसमें उल्लेख किया गया है कि ये पर्यावरण विधि वर्ष 2006 के मापदण्ड के विपरीत होने के कारण अवैध है। दूसरा लिखा है कि पर्यावरण अधिनियम 2006 के तहत कोई संयंत्र के स्थापना के पूर्व जनसुनवाई के लिए 10 किमी की परिधि में आने वाले ग्राम पंचायत नगर परिषद को ई.आई.ए. रिपोर्ट अवलोकन हेतू जिला प्रशासन द्वारा मुहया कराना अनिवार्य है। जिसका पालन नहीं किया जाने पर नगर निगम रायगढ़ को जानकारी उपलब्ध नहीं कराना अवैध है।

645. मधुसुदन यादव, चिराईपानी – मै इस जनसुनवाई और वैजरॉन प्लांट का पुरजोर विरोध करता हूँ। क्योकि सबको यहां पता है यहां कुछ होने जाने वाला नहीं चाहे जितना भी विरोध कर लो इसलिये लोग लिझड़ हो गये हैं। समर्थन कर रहे हैं कुछ होना तो है नहीं। इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई भी प्लांट का न इम्प्लॉयमेंट का है, न पर्यावरण, न जल का है। सब बेकार है कोई कुछ काम का नहीं है जैसे जिस प्रकार छोटे हाथी घोड़े को रस्सी से बांध दिया जाता है तो बड़ा होकर उसका रस्सी को तोड़ने का साहस खत्म हो जाता है उसी प्रकार यहां के जितने रहवासी हैं साहस खत्म हो गया है। सबको पता है कुछ होने जाने वाला नहीं है तो समर्थन क़रो। मै इसका पुरजोर विरोध करता हूं। भारत मात की जय।

646. – मै विरोध में आया हू ना कि समर्थन में। अगर विरोध करना है तो संवैधानिक तरीके से विरोध करें। पुलिस प्रशासन के लोग भी यह बात बोल रहे हैं आप संवैधानिक तरीके से विरोध या समर्थन करें। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जनसुनवाई जो कराई जा रही है वो गैरकानूनी और गैरसंवैधानिक है। क्योंकि कंपनी का जो प्रस्तावित क्षेत्र है और ये जनसुनवाई हो रही है। भारत के संविधान अनुच्छेद 244 एक जहां पांचवी अनुसूचि क्षेत्र है इस अनुसूचि में इस क्षेत्र के लोगों को स्वशासन का अधिकार संविधान ने दे रखा है। साथी

ही बताना चाहूंगा कि यहां बेसक कानून लागू है। इस देश के उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसल में कहा की अनुसूचित क्षेत्र में सरकार भी एक नागरिक के बराबर है। और हम पूछते है आप गैरसंवैधानिक तरीके से ये जनसुनवाई उस क्षेत्र में क्यो करा रहें हैं। जहां पर पर्यावरण की समस्या से उस क्षेत्र के लोग जुझ रहे है। और उस क्षेत्र में उद्योग लगवा रहे हो जहां प्रदूषण अपने चरम सीमा को लांघ गया है। इस क्षेत्र में क्यों उद्योग लगा रहे हो जब एन.जी.टी. ने यह कह दिया है कि रायगढ़ जिला नये उद्योग एवं उद्योग विस्तार करने की स्थिति में नहीं है। आप जवाब में देते है कि हम पर्यावरण मंत्रालय के आदेश का पालन कर रहे हैं सर मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस संविधान की शपथ खाकर शासन एवं पर्यावरण मंत्रालय में बैठे हुये लोग संविधान के पालन कराने का हमको आश्वासन देते हैं। और वही गैर संवैधानिक तरीके से आपको आदेश कर दिये कि जाईये वहां उद्योग के विस्तार के लिये जनसुनवाई कीजिये। एक तरफ आपने भी आपने भी संविधान पालन करने की शपथ ले रखी है कि हम संविधान का पालन करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं देश की उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसल में यह कह दिया कि सरकार भी देश के एक नागरिक के बराबर है अनुसूचित क्षेत्र में और वो नागरिक ने आपको आदेश दिया जनसुनवाई कराने का और हम भी नागरिक ही हैं इस देश और इस क्षेत्र के। हम संवैधानिक तरीके से विरोध करने के लिये आये तो मेरा सवाल पूरी जनता के तरह से यह गैरकानूनी औरक गैरसंवैधानिक जनसुनवाई क्यों, क्यो ना इस जनसुनवाई को निरस्त किया जाये। और इसलिये सर केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना है 14 सितम्बर कि कोई कंपनी आवेदन जमा होने के 45 दिवस अंदर जनसुनवाई होना चाहिए लेकिन ये तो उस समयसीमा को भी लांघ गया है। तो क्या ये गैरकानूनी नहीं है आप एन.जी.टी. कि आदेश की अवहेलना क्यों कर रहें हैं संवैधानिक पद पर आप एन.जी.टी. कि आदेश की अवहेलना कर रहें हैं। इस देश की संविधान का अवहेलना कर रहे हैं और उल्लंघन कर रहे हैं। एस.आई.ए. रिपोर्ट जब बनाया इन्होने यहां पर ग्रामीण लोग आये हैं बताईये भाईयों ग्राम सभा की सहमति ली गई क्या, यहां कि सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में पूछी गई आपसे, क्या यह जनसुनवाई कराने से पहले ग्राम सभा की सहमति ली गई नहीं ली गई। सर फिर कहूंगा देश के उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसल में कहा कि अनुसूचित क्षेत्र मे ग्रामसभा सर्वोपरि है और उनके 08.07.2013 के फैसले में ये कहता है। सर एक तरफ देश का उच्चतम न्यायालय इस अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिये सारा अधिकार देता है आप उस अधिकारों का हनन करते हैं सरकार भी उस संविधान में आपको जनसुनवाई कराने का आदेश देता है तो दा लाईन यही कहना चाहूंगा जब सरकार ही है अत्याचारी तो क्या करेगा पर्यावरण अधिकार या पीठासीन अधिकारी। सर मैं कहना चाहूंगा कि एस.आई.ए रिपोर्ट बनाने के पहले आपके सामने ये बात बताई जाये कि इनकी सहमति नहीं ली गई इनकी गैरउपस्थिति में ये जो ई.आई.ए. रिपोर्ट बना है मैने इसका अध्ययन किया है ये बेसकॉपी रिपोर्ट के तहत् हर जनसुनवाई पुरी की जार रही है तो क्या यह गैरकानूनी या गैरसंवैधानिक नहीं

है। तो क्यो न इस जनसुनवाई को यही पर इसको स्थगित कर निरस्त कर दिया जाये। सर मैं आगे यह बताना चाहूंगा कि इस कंपनी मेसर्स वैजरॉन प्रा. लि. से लेकर आज तक अपनी जो मानक है उसको पूरा करने में भी असफल रहा है। यहां कि प्रदूषण से आप रूबरू है। हर जनसुनवाई में सारी बातें रखी गई सारी जनता परेशान है रोड प्रदूषण से यहां की क्षेत्र की समस्या से मेरे से पहले वक्ता राजेश भैया ने सारी बातों को आपके सामने रख दिया है। सिलकोसिस बीमारी से यहां के लोग ग्रसित हैं, केंसर, दमा, खांसी जैसे बीमारियो से, लगातार यहां के लोग चर्मरोग से ग्रसित हैं तो क्या जनजीवन से खिलवाड़ नहीं हो रहा है उसके बावजूद भी इस उद्योग विस्तार के लिये यह जनसुनवाई कराया जाना मेरे हिसाब से गैर कानूनी और गैरसंवैधानिक होगा। और जनजीवन के खिलाफ होगा। फिर कहना चाहूंगा सर इस जनसुनवाई को यही निरस्त कर दिया जाये। आगे कहना चाहूंगा आप ऐसे वक्त पर जनसुनवाई करवा रहें जब पूरा विश्व पर्यावरण असंतुलन के कारण चिंता के विषय में घिरा हुआ है। आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी और ऐसे वक्त पर जहां कोरोन जैसे महामारी से पूरा देश जूझ राहा है और जहां पर्यावरण की समस्या है वहां पर कोरोना की मार सबसे ज्यादा झेले हैं ऐसे समय मे जनसुनवाई कराया जाना उचित नहीं है। ऐसे समय में उद्योग का विस्तार किया जाना उचित नहीं होगा। सर हम विकास के ऐसे अंधाधुंध दौड़ में हैं औद्योगिकरण के ऐसे दौरा में जी रहे हैं जहां पर विकास के नाम पर अनेक उद्योग लगाये जा रहे हैं और विस्तार किया जा रहा है लेकिन विकास हो नहीं रहा है। क्या इस क्षेत्र के लोगों का सामाजिक विकास हो गया, क्या इस क्षेत्र के लोगों का आर्थिक विकास हो गया, क्या इस क्षेत्र के लोगों का शैक्षिण विकास हो गया। सर हम अध्ययन करते हैं और पाते हैं यहां पर किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है।

647. कैलाश बेहरा, तराईमाल – पहली बात तो सर जो सुभम भैया मांग रहे है उसे लिखित में दे, फिर आगे बड़ेंगें। ये बताईये सर आप काहे लिखित में नहीं दे पा रहे हैं। पहली बात तो ये सर जबसे मैं पैदा हुआ हूं सिर्फ बंजारी मंदिर में ही क्यों जनसुनवाई होती है। चिराईपानी के आस–पास आपको खाली जगह नहीं मिलता है क्या जो बंजारी मंदिर में ही जन सुनवाई क्यो कराया जाता है। मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूं खाली जगह और जब मेरे साथ 12 जनपद पंचायत सदस्य है। तो कैसे प्रस्तावित हो गया प्लांट से ग्राम सभा से। कोरोनाकाल में भी बंजारी मंदिर को जनसुनवाई का गढ़ बना के रखे हो सर। माँ बंजारी मंदिर का नाम चेंज कराकर इसका नाम जनसुनवाईधाम रख दिया जाये और यहां एक भवन बना दिया जाये जिसमें पैसे का लेन देन होगा खाली। वैजरॉन आयेगा दलाल आयेंगे सारे प्रशासनिक अधिकारी आयेंगे दो लाख चार लाख में बात होगा। आप लिखित में दो सर उसके बाद बाकी बात होगा। वरना कोई नहीं आयेगा सभी बैठे रहेंगे। आपका ई.आई.ए. रिपोर्ट मेरे पास है सर। आपका कुल क्षेत्रफल–15.327 हेक्टेयर याने कि 37.87 एकड़ के जमीन में ग्रीन फिल्ड स्टील प्लाट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें स्पंज आयरन क्षमता–72,700 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन फर्नेस 1,98,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल– 1,92,000 टन

प्रतिवर्ष 5 मेगावाट डब्लयु.एच.आर.बी. आधारित और 15 मेगावॉट एफ.बी.बी. शामिल है। बहुत बढ़िया है सर आपका प्लांट। लेकिन इसमें एक बात मुझे पता नहीं है आप इसमें अपने रिपोर्ट में लिखे हो जो विस्तार हो रहा हैं वो कृषि भूमि है। उसको आप उद्योग में परिवर्तित कर दोगे वहां का खेती गया और साथ साथ उसके आस पास के एयिा भी प्रभावित होंगे। वैसे भी अपने रायगढ़ एरिया में लाखा एरिया में, चिराईपानी एरिया में, तराईमाल एरिया में कितना जमीन बचा है खेती लायक। और लाके खतम कर दो सबको हमारे बड़े बुजुर्गों से पापा से दादा से पता चलता है तराईमाल में लौकी की खेती बहुत होती थी मगर रायगढ़ जिले यहां कि सब्जी जाती थी न तो यहां के नाम से बिकती थी कि तराईमाल की सब्जी है अभी क्या सबजी उगता है चलो दिखाता हूं मैं आपको कुछ नहीं। खाली डस्ट खा रहे हैं और कुछ नहीं। आपके प्लांट के 10 कि.मी. के भीतर बस्तियां 3.8 प्रतिशत, हैं और औद्योगिक क्षेत्र 8.2 प्रतिशत, नदियां तालाब जलाशय 60.3 प्रतिशत, जंगल 41.4 प्रतिशत, एक फसली भूमि 19.4 प्रतिशत, द्विफसलीय भूमि 5.4 प्रतिशत, बिना झाड़ के भूमि 2.2 प्रतिशत और खरन क्षेत्र 1.1 प्रतिशत राक तालाब 0.4 प्रतिशत है। जब प्रतिशत निकालते हैं तो 100 प्रतिशत से निकालते हैं तो योग करने पर आपका 89.2 प्रतिशत कैसे आया। 10 प्रतिशत का रिपोर्ट काहे नहीं है आपके रिपोर्ट में बताईये। आपके इस प्लांट में 655 के.एल.डी जल का प्रतिदिन उपयोग होगा। इतना ज्यादा जल जिसमें डी.आई.ए. भट्टियां 50 के.एल.डी. इंडक्शन फर्नेस 72 के. एल.डी., रोलिंग मिल 115 के.एल.डी, कोल गैसीफायर 10 के.एल.डी., पॉवर प्लांट 400 के.एल.डी. और घरेलू उपयोग में 10 के.एल.डी. होगा। आप से सब का योग करो सर 657 के.एल.डी. यूज होता है। आप 655 लिखे हैं। आप ई.आई.ए. रिपोर्ट को फोटोकापी बना के रखे हो हर प्लांट में खाली उसी को छाप दो। ग्रामीण तो बेवकुफ है थोड़ी पढ़ते हैं ये सब। इसके बाद एन.आर.वी.एस. और शांभवी इस्पात का भी जनसुनवाई है इतना भारी मात्रा में वो लोग जल का उपयोग कर रहे हैं। पहले खेती बर्बाद कर चुके है, जो बचा पानी है उसे भी समाप्त कर दो। आदमी प्यासा मर जाये यहां पर यही चाहते हो क्या। 163 के. एल.डी. आपका पानी दूषित होगा आप तरह तरह के उपाय बताये होंगे ये करेंगे वो करेंगे। ये बताओ सर जब सिंघल का पानी निकलता है तो पीछे वाला नाला काला कैसे हो जाता है। इसके प्लांट से भी नदी नाला काला होगा। आपके प्लांट में जो कच्चा माल आयेगा और ठोस अपशिष्ट होग जैसे डी.आई.आर, स्लैग, बाई स्क्रबर स्लैग, एस.एम.एस. स्लैग, प्लांट की राख ढके हुय ट्रको कें माध्यम से आयेंगे, सीमेंट निमार्ण विक्रेताओं को दे दिये जायेंगे। बहुत बढ़िया। एक बात बताओं सर जो बिना ढके ट्रक आते हैं वो कहा से आते हैं बताईये रोड के साईड में जो डस्ट बैठा है वो तो हम लोग बिछा देते है न हमारे गांव से निकलता है न। मैं खाली वैजरॉन प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिंघल, एन.आ.वी.एस. मै आस पास के सारे प्लांट की बात कर रहा हू। ये रवैया है आपका पर्यावरण के प्रति आज के दिन में आदमी 20–25 जी गया तो बहुत है यहां। हर प्लांट जब लगता है तरह तरह के प्रलोभन देते है कि रोजगार देंगे पर्यावरण का

ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं होता आपकी इस प्रदूषण के कारण भालु, हाथी थे और दुनिया भर के जीव जन्तु थे। प्रदुषण के कारण सब विलुप्त हो गये। मैं वनस्पति विज्ञान का छात्र हूं कितने सारे वनस्पति यहां से लुप्त हो गये यहां से पता नहीं होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बोलते है कुछ सुधा नहीं होगा। खाली प्लांट के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा वहीं पैसा छापेंगे। आदमी व क्षेत्रवासी सिर्फ पेरशान होंगे। आप बोलते हो चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार होगा रिपोर्ट में लिखे हो आप। प्लांट खुल 20 साल से ज्यादा हो गया 02 दशक हो गया एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुला है। कैसे होगा विकास आप बोलते हो स्थानीय बेरोजगार को रोजगार देंगे। 10 प्रतिशत् स्थानिय लोगो को रोजगार दे देंगे तो मान जाऊंगा नहीं अभी दिखा दो। मैं प्लांट जाता हूं बोलता हूं स्थानिय लोगो को रोजगार दो वो बोलते हैं दिये हैं। मूल निवाशी को रोजगार दीजिये जो यहां 10–15 पहले आकर बसा है उसका राशनकार्ड दिखाते हैं। जिसका जीमन गया है उसको रोजगार दीजिये, जिसका खेती बर्बाद हुआ है उसको रोजगार दीजिये, जिनका खेती गया, जिनका जमीन गया है मैं आपको 7–8 इंजीनियर दिखा देता हूं इन्हे देंगे रोजगार। प्लांट स्थापित कर लिया ठीक है, प्लांट स्थापित करने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा होत है सेफ्टि का मैं गया था आपके वैजरॉन प्लांट में आपका सैक्युरिटि गार्ड चप्पल पहन के गेट खोलता है। सेफ्टि जूता तक नही दे पाये। जो शोर में काम करेगा उसको एयर फ्लग देंगे। जब आपका सेक्युरिटी इंचार्ज चप्पल पहन के गेट खोलता है। नाम बोलूंगा मैं उसका और उसका फोन नंबर सहित दे दूंगा। आप पूछ लेना। शोर में काम करेगा उसको एयर फ्लग देंगे। जो ऊंचाई में काम करेगा उसको सेफ्टि बेल्ट देंगे। न हेलमेट देंगे न जूता देंगे खाली पैसा बचाने के लिये। हमको काम मे लगा लो, हम भेड़ बकरी हैं, तो मर जायेंगे। कुछ साल पहले सिंघल इंडस्ट्री में हुआ था घटना जिसमें 18 साल का लड़का सेफ्टि के कारण मर गया। ऊपर काम कर रहा था सेफ्टि बेल्ट नहीं था बेचारा गिर गया मर गया। बहुत छोटा सा रकम देकर उसको सुलटा दिये गरीब आदमी था बेचारा क्या करे। वैसे होगा आपके यहां भी अभी कुछ दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था विद्यार्थी परीक्षा के नाम से एस.डी.एम. साहब के पास ज्ञापन देने के 2–3 देने के बाद सिंघल इंडस्ट्रीक के फर्नेस में घटना हो गया। ऑनरिकॉर्ड बोल रहा हूं। उसका पैर शरीर जल गया था। वो बोल रहा था ने जूता, हेलमेट, न सेफ्टि बेल्ट दिया जाता है। क्या उसको जूता, हेलमेट दिया जात तो घटना होता अगर होता भी तो थोड़ा बच जाता वो। सभी प्लांट बोलते हैं प्रदूषण का ख्याल रखेंगे। ये जो सड़क के किनारे में डस्ट लगा है उसको हम लोग लगाते हैं, हमारे घर से निकलते हैं। अगर सभी सड़को का ध्यान रखते हैं तो रायगढ़ से यहां आते तक आपके कमर क्यो टूट जाते हैं। आप वैजरॉन देखे हो चलकर देखो तो बाईक में कैसा लगात है। मेनरोड से 3–4 कि.मी अंदर है वो प्लांट और इतना गड्ढा की बाईक से जाकर दिखाना आप। इन सभी कारणों के कारण मैं वैजरॉन प्लांट का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। भारत माता की जय।

648. भुपेन्द्र मालाकार, तराईमाल – मै पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। क्यों विरोध करता हूं कल क्यो पानी छिड़काव नहीं गया रोड में आज क्यो छिड़कावा गया रोड में। कोराना वेक्सिन लगाया गया तो पंचिग कराते हैं जनसुनवाई का पंचिंग क्यो नहीं कराते आप लोग। सोसायटी जाता हूं तेा पंचिंग कराते हैं आधार कार्ड से लिंक कराते हैं इसका आधार कार्ड से क्यो नहीं लिंक करा रहे आप लोग। जवाब दो मुझो इसका लिंक किजिये ये कहा का आदमी है। कोई बिहार आ गया मैं समर्थन करता हूं कोई बात थोड़ी है। ये क्या जनसुनवाई हो रहा है। राशनकार्ड एवं कोरोना के वैक्सीन में पंचिंग कराते हो। आज जनसुनवाई को आधार कार्ड से क्यो नहीं लिंक करा रहे हो। इसको आधार कार्ड से करावान चाहिये कि नहीं करावाना चाहिये बताईये आप लोग। लाखा है गेरवानी है खाली बंजारी धाम बस। पूर्ण रूप से प्लांट का विरोध करता हूं मैं।

649. सुकमती, गेरवानी –

650. सुरज कुमारी, गेरवानी –

651. फुलकुंवर, गेरवानी –

652. दिलमोती, गेरवानी –

653. त्रिलोचन, सराईपाली – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

654. भुपेन्द्र, लाला – विरोध है।

655. राजेश, सराईपाली – सबसे पहले पूरजोर विरोध है, क्योंकि विकास के नाम पर इस क्षेत्र कंपनिया बैठाई जा रही है। वो हमारे इस क्षेत्र के निवासियों के लिये मौत का सामान परोसा जा रहा है। हमारे क्षेत्र में रोड की स्थिति की बात करें तो रायगढ़ से मिलुपारा धरजयगढ़ तक कोई शासकीय आदमी हो या काई भी हो वे अपने बच्चो के साथ निकल कर दिखाये और उस रोड पर मोटर सायकल से चले और शाम तक जिंदा बचकर आ जाये तो अच्छी बात है। आप उस रोड पर एक बार आकर देखिये अपने जान का जोखिम में डालकर देखिये हम अपने क्षेत्र में कैस जी रहे हैं उसको एक बार महसूस करके देखिये फिर आपको पता चलेगा क्यो विकास नहीं चाहिए हनकों। विकास के लिये जो इस प्रकार का अंधाधुंधी किया जा रहा है वो गलत है। आज ये जो ई.आई.ए. में 44 दिन के अन्दर जन सुनवाई होना रहता है लेकिन इस जनसुनवाई में मैं जैस सराईपाली का हूं ई.आई.ए. और एस.आई.ए. रिपोर्ट के लिये हमारे गांव में प्रशासन एवं कंपनी द्वारा किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। कि हमारे स्वास्थ्य पर कैसी स्थिति होगी हमारे पर्यावरण पर कैस परिस्थिति होगी इस सब की जिम्मेदारी किसकी है। अगर ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाते है तो आके देखिये हमारे गांव मे क्या स्थिति है। अगर आये है तो किसी भी एक से जानकारी लिये होंगो चौकीदार से जानकारी दस्तखत लिये सरपंच, पंच किसी भी व्यक्ति का साईन दिखाईये है कि आप हमारे गांव में आये हैं प्रमाण दिखाईये थे और ई.आई.ए. रिपोर्ट सही तरीके से बना है। सर बता रहे थे अगर ये लीगल है तो ये बताईये कि हमारा क्षेत्र पेशा कानून के क्षेत्र में आता है। और पेशा कानून क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात है

कि ग्रामसभा की अनुमति होनी चाहिये। और ग्राम सभा प्रस्ताव की रजिस्टर का कॉपी आप हमको दिखाईये कि किसी डेट पर ग्राम पंचायत हुआ है और किसी पर कंपनी को समर्थन मिला है। दवाई की दुकान की बात करें तो इस बात से पता लगा सकते है कि इस क्षेत्र में जो दवाई की दुकान है उसकी संख्या इजाफा हुआ है। दवाई दुकान एक दो थे आज प्रत्येक गांव में 8.10 हो रहे है। और इस दवाई दुकान में लगातार दवाईयां बिक रहीं हैं इससे आप अनुमान लगा सकते हैं हमारा क्षेत्र कितना बीमार होता जा रहा है। इसका सारा दारोमदार आपके ऊपर जिला प्रशासन के ऊपर हेाता है कि आप उसको क्यो नहीं रोक रहे हैं आपका फर्ज बनता है संवैधानिक अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार ये है। आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा है कि हमें जीने का अधिकार दिया जाये। लेकिन इस रोड पर हम निकलते हैं तो हमारे जीने के अधिकार का हनन होता है। घर में सोते है हमारे जीने के अधिकार का हनन होता है क्योंकि हम डस्ट पॉलुलेशन को ले रहे हैं। मेरा गांव सिलिकोसिस पीड़ित गांव है जहां दर्जनों के संख्या में महिला,पुरूष, आदिवासी महिलाऐंह पुरूष है उनका जान गया है। जिसके संघर्ष के लिये लगातार हम लोग पिछले 08 से 10 सालों से प्रयास कर रहे है फिर आज तक हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा हे। फिर भी लोग मर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। मै प्रसाशन से विनीती करता हूं कि आप उसकी जानकारी लें। अभी एक महिला का सिलकोसिस जांच होना था उसको रायपुर में 05 बार बुलाया गया 15 दिन से अधि वहां पर रखा गया लेकिन अभी तक उसका जांच नहीं हुआ है। पर्यावरण विभाग अगर ध्यान देती तो शायद इस प्रकार का नहीं होता। हमारा जो क्षेत्र है यहां ई.एस.पी. की बात करें तो किसी भी कंपनी के द्वारा ई. एस.पी. नहीं चालाई जाती है। एन.आर.वी.एस. कंपनी है आगामी जनसुनवाई जिसकी है तो वो भी ई.एस.पी. नहीं चलाती है। इस क्षेत्र में जितनी भी कंपनी है वो ई.एस.पी. नहीं चलाती है। आज सुबह मैं घर से निकला रूपानाधाम की कंपनी को देखा लगातार वहां से पॉलुशन निकल रहा है। अभी रास्ते में आ रहा था तो एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस प्रकार की स्थिति है पिछले मार्च से अभी तक बात करें तो 350 लोगों से अधिक लोगों का एक्सीडेंट इस क्षेत्र में हुआ है उसमें से मैं भी एक हूं। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है। मैं पिछले चार माह से बेड रेस्ट पर था। लेकिन आज इस कंपनी के वजह से मैं यहां बोलने के लिये आया हूं। इन सब चीजों को देखते हुय मैं इस कंपनी का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं इसी कंपनी का नहीं इस क्षेत्र में जिस प्रकार से औद्योगिकरण हो रहा है उसका भी विरोध कर रहा हूं साथ ही मै प्रशासन का विरोध कर रहा हूं कि वे जिस तरह से लगातार इस क्षेत्र में कंपनियां बैठना के लिये षड्यंत्र रच रहे हैं इन सब चीजों का मैं विरोध करता हूं। धन्यवाद।

656. सत्य नारायण चौहान, पंच, तराईमाल – कंपनी विरोध करता हूं।

657. गणेशराम, तराईमाल – कंपनी विरोध करता हूं।

658. प्रभु, घरघोड़ा – कंपनी विरोध करता हूं।

659. शिव प्रसाद, तराईमाल – कंपनी विरोध करता हूं।

660. गुलाब सिंह, घरघोड़ा – कंपनी विरोध करता हूं।

661. अभिमन्यु, घरघोड़ा – कंपनी विरोध करता हूं।

662. मेनका, तराईमाल, पंच – कंपनी विरोध करती हूं।

663. सुकमति, – कंपनी विरोध करती हूं।

664. प्रभु, तमनार – कंपनी विरोध करता हूं।

665. बिलासो, पंच – कंपनी विरोध करता हूं।

666. उमेश, तमनार – कंपनी विरोध करता हूं।

667. कान्हा, तमनार – कंपनी विरोध करता हूं।

668. सहदेव, तराईमाल , पंच – कंपनी विरोध करता हूं।

669. चमार, तराईमाल पंच – कंपनी विरोध करता हूं।

670. रूपेश, तमनार – कंपनी विरोध करता हूं।

671. ननदेव, तराईमाल – कंपनी विरोध करता हूं।

672. पप्पु, गेरवानी – कंपनी विरोध करता हूं।

673. इंद्र कुमार यादव, गेरवानी – कंपनी विरोध करता हूं।

674. सहमद असांरी – सहमत करता हूं।

675. निलांचल, – कंपनी विरोध करता हूं।

676. ललीत, लाखा– केलो परियोजना के कारण लाखा को एक अलग जगह में बैठा दिया गया है। विरोध।

677. विवके, पूंजीपथरा – समर्थन हैं.

678. प्रकाश कुमार, उज्जलपुर – प्लांट का समर्थन करता हूं। मेरे से पहले आये अपने आपको बताये गांधीवादी मैं उनका आदर करता हूं। मेरे से पहले छोटे भाई आये उन्होने पीठासीन महोदय को दोषी ठहराया। लेकिन उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा वर्कर रहेंगे तभी प्लांट चलेगा। धन्यवाद जय छत्तीसगढ़।

679. बाबु – वर्कर रहेगा तभी प्लांट चलेगा। उसका कालोनी है वहां 50 रूम है।

680. टिकेश्वर, घरघोड़ा – विरोध।

681. विनय – विरोध।

682. संजय – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।

683. मेलारा, – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।

684. राममदास – मेसर्स वैजरॉन इंडंस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।

685. रूबल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूॅ।

686. रतन – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

687. सरज – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

688. सानु – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

689. डमरूधर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

690. कार्तिकराम – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

691. रमेश – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

692. राजेश – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

693. मिलन, उज्जलपुर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

694. विनोद कुमार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

695. सेवकराम, उज्जलपुर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

696. समीर – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

697. गंगाधर, सराईपाली – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

698. सुरेन्द्र, सराईपाली – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

699. प्रसाद, गौरमुड़ी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

700. संतोष – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

701. दानीराम, सराईपानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

702. संदीप महंत, घरघोड़ा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

703. अभिनव महंत, घरघोड़ा, – विरोध।

704. इन्द्रजीत, – विरोध।

705. तिलक राम साहू, घरघोड़ा – मैं विरोध करता हूँ। मेरे भैया आपको समझा समझाकर थक गये मैं आपाको प्रेक्टिकल कर के दिखाता हूँ। मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं सर। एस.के.वर्मा एक मिनट स्टेज से नीचे उतर कर आयेंगे मैं आपको प्रेक्टिकल कर के दिखाता हूँ। आप नहीं आयेंगे तो मैं खुद आकर प्रेक्टिकल कर के दिखाता हूँ। मेरी बात तो पूरी नहीं हुई थी लेकिन आप प्रेक्टिकल देख लीजिये कैमरा में हमारे एरिया में इतना प्रदूषण इतना डस्ट इनता डस्ट खा रहे हैं इतना डस्ट में मर रहे हैं। जब कोरोना काल आया था जब ये डस्ट नाक में घुसता हैं तब पता चलता है कितना मटेरियल अंदर जा रहा है। अब इसका ईलाज आप लोग ही सोंच सकते हैं मैं पूरा सबूत के साथ आया हूं। बताये प्रदुषित हो रहा है कि हमारा देश। आप लोग अब विचार करें आम जनता की बात को समझिये ताकि किसी को नुकसान न हो, खेत खलिहान न जले, न पेड़ पौधे नुकसान हों बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद

706. कन्हैयालाल, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

707. सूरज दास, चांपा – सर एक बात कहना चाहूंगा। इस जनसभा में भाई बहन आये बहुतों ने विरोध/समर्थन किया। जहां पे अच्छाई होती है वहां बुराई भी होता है। तो मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि कोई भी इंडस्ट्री समाज के अधिकार के,हनन के लिये होता है। ये हमारे विकास के लिये है यदि आज हमारे बच्चे पॉलीटेकनिक, इंजीनियरिंग, एन.आई.टी में जा रहे हैं तो वो कहा जायेंगे किस चीज के लिये शिक्षा लेंगे जरा सोचिये जब हमारे पास काई तकनीकी औजार न हो तो उनकी शिक्षा धरा का धरा रह जायेगा। तो आज का जो मुख्य विषय है वो है प्रदूषण वास्तव में संसार की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। लेकिन इस प्रदूषण से बचने के लिये हमारे वैज्ञानिको ने एक से एक इक्विपमेंट डेवलप कर लिये हैं जैसे की पॉवर प्लांट में डी.एस.सी. आता था फिर डेग फिल्टर छोने प्लांट में लगाये गये। अभी उसमें ई.एस.पी लगता है। ई.एस.पी. पहले डस्ट निकालता था उस डस्ट को अब लिक्विड कर देते हैं अब उसका ईटा बनाया जाता है ईंटा बनाने के लिये कही का मिट्टी काटा नहीं जाता है, जब हम अच्छे से अच्छा इक्विमेंट लगा लेंगे कंपनियां आयेंगी तभी डेवपलमेंट होगा। आज हम एक बल्ब बनाने की हिम्मत नहीं रखते हैं हम चाइना से खरीदते हैं। यहीं चीज चाईना वाले सोचें कि हम कहा प्रदूषण में पड़ रहे तो कहां जायेंगे क्या करें यदि कोई व्यक्ति दो बल्ब बनाना चाहे तो विरोध से नहीं समर्थन से होता है कि उस चीज को जाने उस चीज को समझे कि अच्छा से अच्छा कर सके ये होता है डेवलपमेंट बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं मैं इस कंपनी का नहीं सभी कंपनी का समर्थन करता हूं लेकिन वातारण हमारा शुद्ध होना चाहिए। वहां के रहवासी उसमें रहते हैं और हमारे बच्चे भी पलते बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं उनके शिक्षा का उपयोग इन्ही में होना है न कि नारेबाजी में। धन्यवाद मैं वैजरॉन कंपनी का समर्थन करता हूं।

708. गजानंद कुमार, चिराईपानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। हमारे गांव में हम लोगो को रोजगार मिला इससे बढ़ी उपलब्धि और कुछ नहीं। धन्यवाद।

709. नरेश भेय, तुमीडीह – मेसर्स वैज़रॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

710. दयासागर, तुमीडीह – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

711. संजय, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

712. रजनीकांत, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

713. अरूण कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

714. छबिलाल प्रधान, पाली – कल तक मुझे पता नहीं था जनसुनवाई है करके लेकिन पता चला जन सुनवाई हो रहा है वो भी पता नहीं था चिराईपानी है कि शांभवी का है लेकिन जहां का भी जनसुनवाई हो हम समर्थन करते है। मेरे गांव से चिराईपानी 03 कि.मी. पड़ता है गांव में जनता रहती है तो उनको आने जाने में असुविधा होती है, स्कूली बच्चे पढ़ने आते हैं तो कई प्रकार से दिक्कतें होती है तो फेक्टी वाले उसका रख रखाव करे ये बात प्रशासन भी जानता है इसके बहुत पहले भी 200 आदमी कलेक्ट्रेड में जाकर

जानकारी दिये थे। इससे पहले भी जो जनसुनवाई हुआ है स्थानिय बच्चों को उनकी योग्यता अनुसार कंपनी वाले काम दें। अनुरोध करता हूं सर डायरी में नोट करें। इस बात के लिये कलेक्टर साहब के पास भी ज्ञापन सौंप सकता हूं ये ही नही मैं अपने लड़के के लिये अपना प्लांट में गया हूं। कहां गया हूं उसको भी नोट करे सर। मेरे गांव के1.5 कि.मी के अंदर प्लांट लगा है तो मेरा कर्तव्य है कि मेरा पढ़ा लिखा लड़का उसमें काम करे इसके लिये मैं आपको जिम्मेदार ठहराता हूं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंप सकता हूं और हमारे स्कूली के बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं तो सरपंच को भी रोड में पानी छिड़काव करने के लिये अवगत कराया था फिर पानी का मौसम आया उसमें अपना पहुंच मार्ग बना था तो सलासर कंपनी डामरीकरण करके अपना काम को संतुष्ट रूप से कराया उसके सामने अग्रोहा, एस.एस. स्टील प्लांट है मेरे गांव में उनका भी दायित्व बनता है उस रोड का रख रखाव करें, जनता के हित में काम करें। दूसरी बात यह है कि सर जब जन सुनवाई हो रहा है तो ऐसे जनसुवाई हमको अचंभित लग रहा है ग्राम पंचायत लाखा, देलारी, चिराईपानी हो जुड़ा हुआ है तो इसके लिये कोटवार से मुलाकात करें मुलाकात करना उनका परमकर्तव्य है इस चीज का जानकारी नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है ये तो मैं नहीं कह सकता। तो मुझे दुख तकलीफ है मैं आपको बता रहा हूं। मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ बाकी प्रशासन उसके खिलाफ मेरी बात को ध्यान मे रखते हुये कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद।

715. प्रशांत – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

716. संजय – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

717. सुरज, तमनार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

718. गजेन्द्र साहु, तमनार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

719. खिरसागर मालाकार, तराईमाल, पंच – जहां तक मेरा संज्ञान है उद्योगी आ रहे हैं मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड चिराईपानी में स्थित है चिराईपानी के लोगों का वक्तव्य सुना उनका कहना था कि स्थानीय कंपनी लोगो को रोजगार दे रही है, अब रोजगार देना है इसको तय करेगी मैनेजमेंट। सर्टिफिकेट इस प्रकार होना चाहिये कि उनको लगे कि इस पद पर रख सकें और आदमी इच्छा करता रहे कि मैं वहां जाकर मैनेजिंग डायरेक्टर ही बनूंगा तो मेरे विचार से एक कंपनी का एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर होता है तो जहां तक आई है इंडस्ट्रीज 1956 में अपने अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था देश आजाद हो गया है चार चार बार मैने लालकिले में तिरंगा फहराया पर आज भी मैं संतुष्ट नहीं हूं हमारी मूलभूत आवश्यकतायें है रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान क्या मुहैया कराते उस वक्त उनके पास ढंग से अस्त्र सस्त्र नहीं थे बड़ी मुशकिल से आजादी पाये थे उनके पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी उन्होने कहा था यहां उद्योग लगे जिससे क्षेत्रीय निवासियों को रोज़गार मिल सके शिक्षा मिल सके शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कही थी। 1956 में उन्होनें 6 मूलभूत आवश्यकताओं की बात कही थी ये मूलभूत आवश्यकताऐं आज की डेट की शादी कर दो परिवार चलाने बोल दो तो वह बिखर जायेगा पारिवारिक सपोर्ट नहीं रहेगा तो वैसे

ही स्थिति आज भारत में है 19वीं सदी में इंग्लैण्ड की थी, 20 वी सदी अमेरिका की थी। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था ये उनका सपना था कि 21 सदीं में भारत की ऐसी स्थिति हो जाये तो भारत की स्थिति ऐसे ही नहीं हो जायेगी वक्तव्यों से उसके लिये हमें उद्योग लगाना पड़ेगा, व्यक्तिगत इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा हर आदमी आज अपना स्टैण्डर्ड ऊपर करेगा तभी जाकर 21 शताब्दी भारत की हो सकती है बड़–बड़े सोच से नही बड़े–बड़े काम से हो सकती है। उद्योग जब लगती है दोस्तों तो उसका मालिक निजी स्वार्थ के लिए उद्योग नहीं खोलता। उसमें 200 आदमी काम करते हैं जिससे कम से कम 1000 व्यक्तियों का भरण पोषण होता है। ये कंपनी किसी एक इंसान का ना होकर 8 एकड़ में फैला है जिससे हजारों लोंगो का पेट पल रहा है। तो आज हम कांग्रेस या बी.जे.पी. के बारे में ना सोचकर राष्ट्र के बारे में सोचते है। यदि आज उद्योग नहीं रहता तो एक आदमी दूसरे आदमी को नोचता रहता आज यहां हिंसा बढ़ सकती है। सरकारी नौकरियों को छोड़ दिजिए इस आरक्षण में तो सरकारी नौकरी को भुल ही जाईये। तो बच गई इंडस्ट्रीज जो सरकार की सहयोगी एकाउंट्स के रूप में काम कर रहीं है। जनता का सहयोग किया है न कि उनका उपयोग किया है। आज इंसान कार,सड़क और अच्छे जिंदगी जीने का सपना देख रहा है। तो वो उद्योग की वजह से है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राशन कार्ड की जो 3 व्यक्ति से अधिक सदस्य को प्रति व्यक्ति 5किग्रा चावल दिया जा रहा है वो इन्हीं कंपनियों के टैक्स से दिया जा रहीं है। तो उन्हीं का चावल खाकर उन्हीं का विरोध करना खाली में छेद करने वाली बात हो जायेगी। तो मेरे सम्मानीय विजय गौंटिया कर रहे है बस करो। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद

720. विजय कुमार, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। किन्तु ये जो इसकी क्षमता विस्तार के साथ साथ वहां की रोड़ भी वैसी होनी चाहीए जो वैसी नहीं है। कृपया इस ओर ध्यान दें। हमारा जो पर्यावरण है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। उसको प्रदूषण मुक्त करते हुए उद्योग का विस्तार करें। मैं वैजरॉन इंडस्ट्रीज का समर्थन करता हूं।
721. छबिलाल, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
722. पंचराम मालाकार, तराईमाल – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूं और उनके डाय. से मेरा अनुरोध है कि 10 कि.मी. के रेडियस में हमारें जितने भी ग्राम आता है उनका सी.एस.आर. मद से पैसा बनता है कृपया उनका विकास करें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, पानी में ये चारों हमारे महत्वपूर्ण है और मैं उन्हें अवगत कराता हूं या शासन से अनुरोध करता हूं कि हमारे 10 किमी रेडियस के गांव में जितने भी पढ़े–लिखे गरीब व्यक्ति है जो अपने बच्चे को कोई मजदूरी करके कोई किसानी करके पढ़ाये–लिखाये हैं इंजीनियरिंग पढ़ाये है। उनको पद के अनुसार नौकरी में रखा जाए। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं।
723. अक्षय, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
724. मुकेश, तमनार – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
725. मुकेश अग्रवाल, गेरवानी – मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। साथ ही कंपनी प्रबंधन से निवेदन करता हूं कि वे ईमानदारी से पर्यावरण प्रदूषण के प्रति ध्यान दें।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 4:15 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री महेश्वर रेड्डी द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रोल चिमनी की उचाई ीाी अनुसार किया जायेगा। बैग फिल्टर लगाया जायेगा। कन्वेयर से कव्हर होगी। टोटल लैड में 35 प्रतिशत पर हरित पट्टिका लगाया गया है। 655 कि.ली. पानी ग्राउण्ड वाटर से लिया जायेगा। सालिड वेस्ट को पॉवर प्लांट में युटिलाईज करेंगें। कार्बन मोनो ऑक्साई का कोई प्राबलम नहीं होगा। पॉलिशन कन्ट्रोल सिस्टम लगेगा। इनर्जी मीटर भी लगेगा। प्रस्तावित परियोजना में सिलिकोसिस के उत्पानन होने वाले नही है। वेस्ट वाटर युटीलाईजशन टेंक में लिया जायेगा। डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जायेगा। रोलिंक मिल के मेकअप वाटर में उपयोग किया जायेगा। इस परियोजना में इंटर लॉकिंक सिस्टम लगेगा। जिसमें पता चलेगा कि कितना घंटा चला है।

राधेश्याम अग्रवाल द्वारा अध्ययन क्षेत्र में परीक्षण के लिये लेबोट्री को भेजा गया है उसे किन किन गांव से लिया है ओर क्या पंचनामा बनाया गया है।

महेश्वर रेड्डी – हमने चिरापानी, शिवपुरी, पाली, से सेम्पल लिया गया है पर पंचनामा नहीं किया गया है।

राधेश्याम अग्रवाल द्वारा किसी ग्राम पंचायत से आप नमूना ले रहे है बिना पंचनामा के वो फाल्स है फर्जी है।

सुनवाई के दौरान 19 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 13 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 5:10 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

23/10/21
(एस.के. वर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

23/10/21
(आर.ए. कुरूवंशी)
अपर कलेक्टर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)